

# हिन्दी, अंग्रेजी और बोलचाल की भाषा में

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (हिन्दी) Right To Information Act 2005 (English)

## प्रशिक्षण पुस्तिका

12 अक्टूबर 2024 (स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

(बोलचाल की भाषा)

Maneesh Rai(+918888422333)

Founder & National President : RTI Activist Association Of India

Anup Kumar Soni(+919838619518)

National Treasurer : RTI Activist Association Of India

## पारदर्शिता से काँपती है भ्रष्ट व्यवस्था

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information 2005))

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के लिए है।

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है और लोकतंत्र में शिक्षित नागरिक वर्ग है।

सरकारी कार्यालय में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बनाया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- (1) सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिये अनिवार्य है ।
- (2) सभी सरकारी कार्यालय जनता के द्वारा दिये गए टैक्सों के पैसों से चलते हैं ।
- (3) सूचना माँगने का अधिकार सभी नागरिकों का है ।
- (4) भारत में चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक भारत के जनता के द्वारा दिये गए टैक्सों के पैसों से वेतन और सुख-सुविधा प्राप्त करते हैं ।
- (5) जनता मालिक है और चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सभी जनता के सेवक हैं ।
- (6) भारत की सभी राज्यों में सूचना के अधिकार अधिनियम लागू है ।

### अध्याय 1 :- प्रारम्भिक

#### संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में है ।

धारा 4 की उपधारा (1)	धारा 5 की उपधारा (1)	धारा 5 की उपधारा (2)	धारा 12
धारा 13	धारा 15	धारा 16	धारा 24
धारा 27	धारा 28	के उपबंध तुरन्त प्रभावी होंगे	
इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियम के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे ।			

### अध्याय 1 :- प्रारम्भिक

#### संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में है ।

धारा 4(1); धारा 5(1); धारा 5(2); धारा 12; धारा 13; धारा 15; धारा 16; धारा 24; धारा 27; धारा 28 के उपबंध तुरन्त प्रभावी होंगे । इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियम के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे ।

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 6 अध्याय और 30 धाराएँ हैं ।

अध्याय 1 :- प्रारम्भ और परिभाषा है ( जिसमें धारा 1 और 2 हैं जिसमें 2(f) का वर्णन है ।)

### अध्याय 2 :- धारा 3 से धारा 11 तक है जो महत्वपूर्ण है ।

- धारा 3 ; सभी नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार है ।  
धारा 4 : लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ ।  
धारा 5 : सभी विभागों में लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम  
धारा 6 : लोक सूचना अधिकारियों के समक्ष सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध आवेदन  
धारा 7 : अनुरोध आवेदन का निपटारा  
धारा 8 : सूचना के प्रकट किए जाने के छूट  
धारा 9 : लोक सूचना अधिकारियों को दिये गए आवेदन पर कुछ मामलों में सूचना के पहुँच के लिए अस्वीकृति का आधार  
धारा 10 : पृथक्करणीयता  
धारा 11 : पर (दूसरे) व्यक्ति की सूचना

**अध्याय 3 :- धारा 12 से धारा 14 तक केन्द्रीय सूचना आयोग से संबंधित है।**

( यह आवेदक से संबंधित नहीं है। )

धारा 12 :- केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन

धारा 13 :- पदावधि और सेवा-शर्तें

धारा 14 :- मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का हटाया जाना

**अध्याय 4 :- धारा 15 से धारा 17 तक राज्य सूचना आयोग से संबंधित है।**

( यह आवेदक से संबंधित नहीं है। )

धारा 15 :- राज्य सूचना आयोग का गठन

धारा 16 :- पदावधि और सेवा-शर्तें

धारा 17 :- मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का हटाया जाना

**अध्याय 5 :- धारा 18 से धारा 20 तक**

( सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य, अपील तथा शास्तियाँ )

धारा 18 :- सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य (जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध शिकायत और जाँच )

धारा 19 :- प्रथम अपील और द्वितीय अपील

धारा 20 :- शास्ति (जन सूचना अधिकारी पर कारवाई करने की शक्ति )

**अध्याय 6 :- धारा 21 से धारा 30 तक**

(प्रकीर्ण)

धारा 21:- सद्भावपर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण-

धारा 22 :- अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना-

धारा 23 :- न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन-

धारा 24 :- अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना-

धारा 25 :- मॉनीटर करना और रिपोर्ट करना :-

धारा 26 :- समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना-

धारा 27 :- नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति

धारा 28 :- नियम बनाने की सक्षम

धारा 29 :- नियमों का रखा जाना-

धारा 30 :- कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (Hindi & English)**

- (a) केंद्रीय अधिनियम - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (22/2005) की धारा 29 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम संसद के प्रत्येक सदन में रखे जाएंगे। (Central Act - Section 29 of the Right to Information Act 2005 (22/2005) provides that rules made under this Act shall be laid in each House of Parliament.)
- (b) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (22/2005) की धारा 29 के तहत प्रत्येक दिया गया आदेश संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा। (Every order made under this section shall be laid in each House of Parliament.)
- (c) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के क्रम 22/2005 के प्रयोग में आने वाली कठिनाई को धारा 30 के तहत दूर करेगी जो कि इसके प्रभावशाली होने के 2 वर्ष बाद ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा। (The Central Government shall remove the difficulty in the exercise of section 22/2005 of

this Act under section 30, which shall not be made after two years from the date of its coming into force.)

- (d) राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम क्रम 22/2005 के अधीन बनाए गए नियमों को इसके अधिसूचित होने के पश्चात विधान मंडल में रखे जाएँगे। ( The rules made by the State Governments under this Act order 22/2005 shall, after its notification, be laid in the Legislature.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 1 (3) में वर्णन किया गया है कि आरटीआई की निम्न धाराएँ तुरंत प्रभावी होंगे :- धारा 4(1), धारा 5(1) & धारा 5(2); धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 और इस अधिनियम के शेष उपबंध 120 दिन बाद से लागू होंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (Section 2 of Right To Information Act 2005 )

**“परिभाषा ( Definitions ) ”-**

**इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो  
(In this Act, unless the context otherwise requires),**

- (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (क)(a) “समुचित सरकार” से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो (“Appropriate Government” means in relation to a public authority which is established, constituted, owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectly)–

- (2) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(क)(a)(i) :- केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है , केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ; ( By Established, constituted, owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the Central Government or Union territory Administration, the Central Government means);

**टिप्पणी :-** केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त उपलब्ध कराया जाता है, केन्द्रीय सरकार के अधीन है और वहाँ पर केन्द्रीय लोक प्राधिकारी नियुक्त होगा;

- (3) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(क)(a)(ii) :- राज्य सरकार द्वारा स्थापित , गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है , राज्य सरकार अभिप्रेत है; (By Established, constituted, owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the State Government, the State Government means);

**टिप्पणी :-** राज्य सरकार द्वारा स्थापित , गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त उपलब्ध कराया जाता है, केन्द्रीय सरकार के अधीन है और वहाँ पर राज्य लोक प्राधिकारी नियुक्त होगा;

- (4) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ख)(b) :- “केन्द्रीय सूचना आयोग” से धारा 12(1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है ; “Central Information Commission” means the Central Information Commission constituted under section 12(1);

**टिप्पणी :-** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(1) के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन

- (5) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ग)(c) :- “केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी” से धारा 5(1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5(2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है; (“Central Public Information Officer” means the Central Public Information Officer designated under section 5(1) and includes a Central Assistant Public Information Officer designated as such section 5(2);

टिप्पणी :- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति :-

- (a) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के तहत “केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी” की नियुक्ति  
(b) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(2) के तहत कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी

- (6) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (घ)(d) :- “मुख्य सूचना आयुक्त” और “सूचना आयुक्त” से धारा 12(3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत हैं ; (“Chief Information Commissioner” and “Information Commissioner” mean the Chief Information Commissioner and Information Commissioner appointed under section 12(3)) ;

टिप्पणी :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(3) के तहत केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति

- (7) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ड.े) :-

“सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है (“competent authority” means)-

- (8) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ड.े)(i) :- लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है , दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति ; (The Speaker in the case of the House of the People or the Legislative Assembly of a State or a Union territory having such Assembly and the Chairman in the case of the Council of States or Legislative Council of a State);
- (9) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ड.े)(ii) :- उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ; (The Chief Justice of India in the case of the Supreme Court);
- (10) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ड.े)(iii) :- किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति; (The Chief Justice of the High Court in the case of a High Court);
- (11) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ड.े)(iv) :- संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल ; (The President or the Governor, as the case may be, in the case of other authorities established or constituted by or under the Constitution;)
- (12) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ड.े)(v) :- संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक; (The administrator appointed under article 239 of the Constitution;)

टिप्पणी :- लोक सभा अध्यक्ष और राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष; राज्य सभा सभापति और राज्य विधान परिषदों के सभापति; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति; संविधान द्वारा स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, (राष्ट्रपति या राज्यपाल) भारतीय संविधान का अनुच्छेद - 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक सभी “सक्षम प्राधिकारी” हैं !

- (13) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च.फ) :- “सूचना” से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख , दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट कागज(पत्र), नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है ; (“Information” means any material in any form, including records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force);

टिप्पणी :- निम्नलिखित सूचना प्रदान की जाएगी :-

1	इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख	10	लाँगबुक
2	दस्तावेज,	11	संविदा
3	ज्ञापन	12	रिपोर्ट (कागज पत्र)
4	ईमेल-	13	नमूने
5	मत,	14	मॉडल
6	सलाह	15	आंकड़ों संबंधी सामग्री
7	प्रेस विज्ञप्ति	16	किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित
8	परिपत्र	17	जिस तक तत्समय प्रवृत्त
9	आदेश/ निर्देश	18	किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है
किसी रूप में कोई सामग्री देय है			

- (14) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (छ)(a) :- “विहित” से. यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; (“prescribed” means prescribed by rules made under this Act by the appropriate Government or the competent authority, as the case may be;)

टिप्पणी :- सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विधि के अनुरूप (जैसे :- विहित फल) स्वीकृत है और यह भारत में समान रूप से लागू है ।

- (15) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज)(h) :- “लोक प्राधिकारी” से. (“public authority” means any authority or body or institution of self- government established or constituted)–
- (16) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज.क)(h.a) :- संविधान द्वारा या उसके अधीन ; (by or under the Constitution);
- (17) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज.ख)(h.b) :- संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा; (by any other law made by Parliament);
- (18) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज.ग) (h.c) :- राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा: (by any other law made by State Legislature);
- (19) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज.घ) (h.d) :- समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा , स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है , और इसके अन्तर्गत , (By notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any)–
- (20) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज.घ) (h.d) (i) :- कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है ; (Any body which is owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate Government );

(21) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ज.घ) (h.d) (ii) :- कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है। (Non-Government organisation substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government);

टिप्पणी :- वे संस्था या कार्यालय आरटीआई के दायरे में आते हैं जो निम्नलिखित हैं :-

- संविधान द्वारा या उसके अधीन संस्था या कार्यालय या संगठन
- संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा संस्था या कार्यालय या संगठन
- राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा संस्था या कार्यालय या संगठन
- सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था
  - सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित हैं;
  - ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है (जैसे :- सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन करना; सरकारी जमीन लीज पर देना; व्यापार करने में छूट; टैक्स में छूट और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना I)

(22) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(झ.ि) :- “अभिलेख” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं (“Record” includes)–

(23) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(झ.क)(i.a) :- कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल (Any document, manuscript and file);

(24) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (झ.ख) (i.b) :- किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिसे और प्रतिकृति प्रति (any microfilm, microfiche and facsimile copy of a document);

(25) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (झ.ग)(i.c) :- ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्नविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो); और (Any reproduction of image or images embodied in such microfilm (whether enlarged or not); and

(26) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (झ.घ)(i.d) :- किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री; (Any other material produced by a computer or any other device);

टिप्पणी :- किसी संस्था या कार्यालय में

- कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;
- किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिसे और प्रतिकृति प्रति;
- माइक्रोफिल्म में सन्नविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन;
- कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री

जो अभिलेख” के रूप में उपलब्ध है वे सभी आरटीआई के दायरे में आते हैं।

(27) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज.ि) :- “सूचना का अधिकार” से इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है (“Right To Information” means the right to information accessible under this Act which is held by or under the control of any public authority and includes the right to–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- (28) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज:i)(i) :- कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण ; (Inspection of work, documents, records);
- (29) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज:ii)(ii) :- दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण , उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना (taking notes, extracts or certified copies of documents or records);
- (30) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज:ii)(iii) :- सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना; ( taking certified samples of material);
- (31) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज:ii)(iv) :- डिस्कट फ्लोपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को , जहाँ ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है , अभिप्राप्त करना; (Obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device);

टिप्पणी :- किसी संस्था या कार्यालय के

- (क) कृति ( जो कार्य किया / करवाया गया है ), दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
- (ख) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण (जो अधिकारी द्वारा जो फ़ाइल में हस्तलिखित करते हैं) उद्धरण (कोटेसन अर्थात समान खरीदने में जो खर्च होता है उसका ब्योरा) या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
- (ग) सामग्री ( कार्य करने में लगे सामान जैसे :- सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़ आदि) के प्रमाणित नमूने लेना;
- (घ) डिस्कट फ्लोपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहाँ ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

- (32) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ट:k) :- “राज्य सूचना आयोग ” से धारा 15(1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत ( “State Information Commission” means the State Information Commission constituted under section 15(1)) ;

टिप्पणी :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(1) के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन

- (33) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ठ:l) :- “राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ” और “राज्य सूचना आयुक्त” से धारा 15(3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है ; ( “State Chief Information Commissioner” and “State Information Commissioner” mean the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioner appointed under section 15(3));

टिप्पणी :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(3) के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति

- (34) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (ड:m) :- “राज्य लोक सूचना अधिकारी ” से धारा 5(1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5(2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है। ( “State Public Information Officer” means the State Public Information Officer designated under section 5(1) and includes a State Assistant Public Information Officer designated as such under section 5(2);

टिप्पणी :- राज्य लोक सूचना अधिकारी और राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति :-

(a) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के तहत “राज्य लोक सूचना अधिकारी” की नियुक्ति

(b) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(2) के तहत कोई राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी

- (35) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (द)(n) :- “पर व्यक्ति” से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है , और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है। (“third party” means a person other than the citizen making a request for information and includes a public authority.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 (Section 3 of Right To Information Act 2005)

- (36) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अध्याय - 2 और धारा 3 :- सभी नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार है। (All Citizens shall have the Right to Information)

**टिप्पणी** :- नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का भाग 3 प्राप्त है तथा सूचना प्राप्त करने के लिए उन्हें कारण बताना जरूरी नहीं है। अधिनियम के अनुसार किसी कार्यालय से सूचना प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही या आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता है। (फा. सं. 12/238/2014-आई आर दिनांक :- 2 जून 2014 एवं फा. सं. 12/55/2019-आई आर दिनांक :- 27 अगस्त 2019) [केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अपर सचिव, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।] “Citizens have Right to Information [Section 3 of RTI act 2005] and they are not required to give reason to seek information [Section 6(2) of RTI Act 2005]. The Act does not prescribe doing action or feeling a charge sheet for seeking information from one's office.[F. No 12/238/ 2014 -IR Dated :- 2 June 2014 & F. No 12/55/ 2019 -IR Dated :- 27 August 2019] {CPIO & Under Secretary; Government of India; Ministry of Personnel, PG and Pensions: Department of Personnel & Training; North Block; New Delhi}

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (Section 4 of Right To Information Act 2005)

“लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ ( Obligations of public authorities )”-

- (37) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) :-

**प्रत्येक लोक प्राधिकारी (Every public authority shall)**

- (38) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(क) :- अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमणिका बद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं. युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए , कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुकर बनाया जा सके ; (Maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act and ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated;)

**टिप्पणी** :- कार्यालय के सभी अभिलेखों को सूचीबद्ध और कंप्यूटरीकृत 120 दिन में करना है जिससे कि युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए सूचना उपलब्ध कराना है।

- (39) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b.ख) :- इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर (Publish within one hundred and twenty days from the enactment of this Act)–

**टिप्पणी** :- आरटीआई अधिनियम 2005 के लागू होने के 120 दिन के भीतर निम्न तैयार होने चाहिए।

- (40) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(i) :-** अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य (The particulars of its organisation, functions and duties)

**टिप्पणी** :- संगठन का ब्यौरा, कार्य और कर्तव्य

- (41) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(ii) :-** अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ; (The powers and duties of its officers and employees)

**टिप्पणी** :- अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

- (42) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(iii) :-** विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ; ( the procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability);

**टिप्पणी** :- निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व सहित)

- (43) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(iv) :-** अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड; (The norms set by it for the discharge of its functions;)

**टिप्पणी** :- अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड

- (44) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(v) :-** अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम , विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख; (The rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions);

**टिप्पणी** :- अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियम , विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

- (45) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(vi) :-** ऐसे दस्तावेजों के , जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण (A statement of the categories of documents that are held by it or under its control);

**टिप्पणी** :- कार्यालयों में रखे दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

- (46) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(vii) :-** किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं ; (The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof);

**टिप्पणी** :- अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण

- (47) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(viii) :-** ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।  
विवरण : (A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;

**टिप्पणी :-** बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों जिनमें दो से अधिक व्यक्ति सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया उस बैठकों के बारे में जानकारी जनता की पहुँच होगी।

- (48) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(ix) :-** अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका (A directory of its officers and employees);

**टिप्पणी :-** अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका (जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के नंबर और ईमेल आईडी होते हैं)

- (49) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(x) :-** अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो; (The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations);

**टिप्पणी :-** अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित

- (50) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(xi) :-** सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट: (The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;

**टिप्पणी :-** प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट सभी योजनाओं का विवरण प्रस्तावित और किए गए वितरण पर रिपोर्ट

- (51) **सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1)(b)(xii) :-** सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं; (The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;

**टिप्पणी :-** सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका है जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल हो

- (52) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(b)(xiii) :-** अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां; (Particulars of recipients of concessions, permits or authorisations granted by it;

**टिप्पणी :-** दी जाने वाली रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण

- (53) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(xiv) :- किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ; (Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;

टिप्पणी :- इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या धारित की गई सूचना का ब्यौरा

- (54) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(xv) :- सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो , कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं ; (The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use);

टिप्पणी :- लोक उपयोग में आने वाली (जैसे :- पुस्तकालय, वाचनालय या नागरिकों को उपलब्ध होने वाली सुविधाओं) का हर घंटे कार्यक्रम का ब्यौरा

- (55) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(xvi) :- लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां (The names, designations and other particulars of the Public Information Officers);

टिप्पणी :- लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

- (56) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(b)(xvii) :- ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए. प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा ; (Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year;

टिप्पणी :- ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अपडेट करें।

- (57) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(g) :- महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय , जो जनता को प्रभावित करते हों , सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा ; ( Publish all relevant facts while formulating important policies or announcing the decisions which affect public;

टिप्पणी :- महत्वपूर्ण नीतियाँ बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय बने प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करना ।

- (58) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(घ) :- प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा । (Provide reasons for its administrative or quasi-judicial decisions to affected persons.

टिप्पणी :- पीड़ित या प्रभावित व्यक्तियों को प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक निर्णयों के लिए कारण प्रदान करना होगा ।

- (59) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) :- प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह धारा 4(1)(ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से , जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध पेज :- 66

कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े। ( It shall be a constant endeavour of every public authority to take steps in accordance with the requirements of clause section 4(1) (b) to provide as much information suomotu to the public at regular intervals through various means of communications, including internet, so that the public have minimum resort to the use of this Act to obtain information.)

**टिप्पणी :-** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) में वर्णित तथ्यों को बराबर अपडेट करते रहना है जिससे कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए कम से कम समय लगे ।

- (60) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(3)** :- धारा 4(1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो। (For the purposes of section 4(1), every information shall be disseminated widely and in such form and manner which is easily accessible to the public).

**टिप्पणी :-** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) में वर्णित तथ्यों को ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित करना है जिससे कि जनता को सरलता से पहुँच योग्य हो ।

- (61) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(4)** :- सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए , प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना , यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए , सहज रूप से पहुँच योग्य होनी चाहिए।( All materials shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness, local language and the most effective method of communication in that local area and the information should be easily accessible, to the extent possible in electronic format with the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, available free or at such cost of the medium or the print cost price as may be prescribed.)

**टिप्पणी :-** केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीमित समय में निःशुल्क या मुद्रण लागत मूल्य अर्थात् कम कीमत पर पर उपलब्ध कराएगा ।

- स्पष्टीकरण- धारा 4(3) और 4(4) के प्रयोजनों के लिए , “प्रसारित” से सूचना पट्टों , समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से , जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है। (Explanation.—For the purposes of sections 4(3) and 4(4), “disseminated” means making known or communicated the information to the public through notice boards, newspapers, public announcements, media broadcasts, the internet or any other means, including inspection of offices of any public authority.)

**टिप्पणी :-** स्पष्टीकरण - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(3) और 4(4) के प्रयोजन के लिए सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) , समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों के निरीक्षण के लिए जनता को इसकी सूचना देगा और इसका प्रचार प्रसार करेगा ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (Section 5 Of Right to information 2005)

“लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम (Designation of Public Information Officers)”

- (62) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (1) :- प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों। ( Every public authority shall, within one hundred days of the enactment of this Act, designate as many officers as the Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this Act.)

**टिप्पणी :-** प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधिनियमन के सभी विभाग में 100 दिनों के भीतर केंद्रीय जनसूचना अधिकारी या लोक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति होना चाहिए।

- (63) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (2) :- धारा 5(1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर यथास्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19(1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदाभिहित करेगा : (Without prejudice to the provisions of sub-section (1), every public authority shall designate an officer, within one hundred days of the enactment of this Act, at each sub-divisional level or other sub- district level as a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, to receive the applications for information or appeals under this Act for forwarding the same forthwith to the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or senior officer specified under section 19(1) or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be: )

परंतु यह कि जहाँ सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहाँ धारा 7(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पाँच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी। {Provided that where an application for information or appeal is given to a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, a period of five days shall be added in computing the period for response specified under section 7(1)}

**टिप्पणी :-**

- (a) केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी और राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति पेज :- 64

(b) सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19(1) के अधीन नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए नियुक्त होगा।

(c) केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी और राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना या अपील लेने के लिए आवेदन देने पर धारा 7(1) के अधीन आवेदन के अनुरूप उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पाँच दिन की अवधि जोड़ कर सूचना प्राप्त होगा।

(64) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(3) :- यथास्थिति, प्रत्येक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की माँग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की माँग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा। (Every Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to the persons seeking such information.)

**टिप्पणी** :- केंद्रीय जन सूचना अधिकारी या राज्य लोक जन सूचना अधिकारी सूचना की माँग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोध पर कार्रवाई और युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(65) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(4) :- यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की माँग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे। (The Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may seek the assistance of any other officer as he or she considers it necessary for the proper discharge of his or her duties.)

**टिप्पणी** :- केंद्रीय लोक जन सूचना अधिकारी या राज्य लोक जन सूचना अधिकारी किसी अन्य अधिकारी से सूचना के लिए सहायता माँग सकता है और वह अधिकारी इसे आवश्यक समझेगा। (अगर एक ही विभाग हो तब आवेदन को हस्तांतरित नहीं कर सकता है।)

(66) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(5) :- कोई अधिकारी, जिसकी धारा 5(4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा। ( Any officer, whose assistance has been sought under section 5(4), shall render all assistance to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, seeking his or her assistance and for the purposes of any contravention of the provisions of this Act, such other officer shall be treated as a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be)

**टिप्पणी** :- आरटीआई की धारा 5(4) के तहत केंद्रीय या राज्य लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा सहायता माँगने पर सहायता नहीं देने पर सहायता नहीं देने वाले केंद्रीय या राज्य लोक जन सूचना अधिकारी दोषी होंगे।

“सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(Section 6 of Right To Information Act 2005)”

“सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध ( Request for obtaining information)” -

- (67) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) :- कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए। ( A person, who desires to obtain any information under this Act, shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made, accompanying such fee as may be prescribed, to)–
- (68) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)(क) :- संबंधित लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी (The Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of the concerned public authority);
- (69) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)(ख) :- यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टि या विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा : ( The Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be specifying the particulars of the information sought by him or her: )

परंतु जहाँ ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहाँ, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। ( Provided that where such request cannot be made in writing, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to reduce the same in writing. )

टिप्पणी :- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का कार्य

- (a) आरटीआई आवेदन को लिखित रूप में  
(b) आरटीआई आवेदन को मौखिक या  
(c) आरटीआई आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार करेगा।  
(d) आरटीआई आवेदक को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा जिससे कि आवेदन लिखकर दे।
- (70) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(2) :- सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। ( An applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him.)

टिप्पणी :- सूचना पाने के लिए कोई भी कारण नहीं बताना है या व्यक्तिगत विवरण (खासकर मोबाइल नंबर) नहीं देना है जिससे जन सूचना अधिकारी (केन्द्रीय/लोक) संपर्क कर सकते हैं।

Note :- आरटीआई की धारा 6(2) के तहत सूचना माँगने के लिए कारण बताना या व्यक्तिगत ब्योरा देना आवश्यक नहीं है। आवेदक को पोस्ट बॉक्स पर सूचना मिले, आवेदकों से कोई भी प्राधिकारी ऐसी जानकरियाँ नहीं

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

माँग सकता है जिसके जरिये आवेदनकर्ता से संपर्क किया जा सके। ( In W.P. 33290(W) of 2013 decided on 20-11-2013 the Double Judge Bench of Hon'ble Calcutta High Court held in a Public Interest Litigation that as per Section 6 (2) of the RTI Act, 2005, WP 33290(W) Order date 20-11-2013 Kolkata HC; Department of Personnel and Training, Government of India vide Memorandum vide no. 1/31/2013-IR, dated 08.01. 2014 & HARYANA STATE INFORMATION COMMISSION, CHANDIGARH Information Commissioner Lt. Gen K J Singh, PVSM, AVSM & BAR (Retd). Complaint Case 536/2021 ( Date of Hearing & Decision :-29/06/2021 )

- (71) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) :- जहाँ, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता ( Where an application is made to a public authority requesting for an information,) —
- (72) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(i) :- जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है या (Which is held by another public authority; or )
- (73) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) :- जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है. वहाँ , वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है , ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को , जो समुचित हो , उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा : ( The subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority, The public authority, to which such application is made, shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer: )

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पाँच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा। ( Provided that the transfer of an application pursuant to this sub-section shall be made as soon as practicable but in no case later than five days from the date of receipt of the application.)

**टिप्पणी** :- आपका आवेदन पत्र दूसरे विभाग में चला गया है तो उस विभाग के सहायक लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा दूसरे विभाग के लोक जन सूचना अधिकारी को अंतरित कर 5 दिन में आपको सूचित करेगा और किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पाँच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा। (एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए है)

**नोट** :- सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी का कार्य :-

- सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय/राज्य लोक जन सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने में मदद करना है।
- प्रथम अपील करने पर प्रथम अपील के पत्रों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित करना है।
- एक विभाग से दूसरे विभाग को पत्र अंतरित करना है।
- आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (Section 7 of Right To Information Act 2005)

“अनुरोध का निपटारा ( Disposal of Request )” -

(74) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) :- धारा 5(2) के परंतुक या धारा 6(3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा: ( Subject to the proviso to Section 5(2) or the provision to Section 6(3), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, on receipt of a request under section 6 shall, as expeditiously as possible, and in any case within thirty days of the receipt of the request, either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in sections 8 and 9: )

परंतु जहाँ माँगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहाँ वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। ( Provided that where the information sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within forty-eight hours of the receipt of the request. )

**टिप्पणी :-**

- (a) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन देने पर लोक जन सूचना अधिकारी 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराएगा और दस्तावेज का संगणना करके ससमय फीस के बारे में बताएगा।
- (b) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ग) के अनुसार महत्वपूर्ण नीतियाँ बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय बने प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करना।
- (c) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(घ) के अनुसार पीड़ित या प्रभावित व्यक्तियों को प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक निर्णयों के लिए कारण प्रदान करना होगा।
- (d) आरटीआई आवेदन पर प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, कार्यालय का पता और इलेक्ट्रॉनिक संपर्क सूत्र देगा। {7(8)}
- (e) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 6(3)(ख) के तहत अपना नाम, पूरा हस्ताक्षर, पदनाम, कार्यालय का पता और डाक और गली का पता, फोन नंबर, फैक्स नंबर और इलेक्ट्रॉनिक डाक पता देगा।
- (f) सभी लोक जन सूचना अधिकारी को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पत्रांक :- एफ. नं :- 1/1/2013- आई आर, दिनांक :- 23 मार्च 2016; पत्रांक :- ओएम.नं. 1/1/2013- आई आर, दिनांक :- 21 अक्टूबर 2014 तथा कोलकाता उच्च न्यायालय के डब्ल्यूपी नंबर 33290/2013 दिनांक :- 20 नवंबर 2013 के आलोक में आरटीआई जवाब को मंत्रालय और विभाग के द्वारा आरटीआई आवेदन, आरटीआई आवेदन पर दी गई सूचना, प्रथम अपील और प्रथम अपीलीय पदाधिकारी/प्राधिकारी/प्राधिकार द्वारा दिए गए निर्णय और सूचना संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना अनिवार्य है।
- (g) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पत्रांक :- ओएम.नं. 1/1/2013- आई आर, दिनांक :- 23 मार्च 2016 और ओएम.नं. 1/6/2011- आई आर, दिनांक :- 15 अप्रैल 2014 के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत सभी लोक जन सूचना अधिकारी को उपलब्ध करना/कराना अनिवार्य है।
- (h) लोक जन सूचना अधिकारी के समक्ष जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत आवेदन देने पर 48 घंटे में सूचना उपलब्ध कराएगा।

- (i) माँगी गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 और 9 के अधीन है तो अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण बताएगा ।

जीवन की रक्षा और स्वतंत्रता से संबंधित कुछ सूचनाएँ इस प्रकार हैं :-

(a) कामकाजी महिलाओं के लैंगिक शोषण के विरुद्ध अधिकार	(f) शीघ्र विचारण का अधिकार
(b) पुलिस उत्पीड़न एवं हिंसा के विरुद्ध अधिकार	(g) निष्पक्ष विचारण का अधिकार
(c) कैदी का इंटरव्यू देने का अधिकार	(h) शुद्ध पेयजल
(d) निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार	(i) आपदा काल
(e) निजता का अधिकार	

- (75) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(2) :- यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 7(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर दिनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामजूर कर दिया है। ( If the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, fails to give decision on the request for information within the period specified under section 7(1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall be deemed to have refused the request.)

**टिप्पणी :-** केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अगर 30 दिन या 48 घंटे में सूचना नहीं देता है तो उस आवेदन को नामजूर समझा जाय लेकिन उसकी सूचना आवेदक को प्रथम **अपीलीय अधिकारी/प्राधिकार/ प्राधिकारी** का नाम और पूर्ण पता के साथ सूचना देगा ।

- (76) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(3) :- जहाँ, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहाँ यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, (Where a decision is taken to provide the information on payment of any further fee representing the cost of providing the information, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall send an intimation to the person making the request, giving)–

- (77) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(3)(क) :- उसके द्वारा यथा अवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा ; ( The details of further fees representing the cost of providing the information as determined by him, together with the calculations made to arrive at the amount in accordance with fee prescribed under sub-section (1), requesting him to deposit that fees, and the period intervening between the despatch of the said intimation and payment of fees shall be excluded for the purpose of calculating the period of thirty days referred to in that sub-section);

**टिप्पणी :** लोक जन सूचना अधिकारी दस्तावेजों की संगणना कर दस्तावेजों के लिए फीस का ब्यौरा इसके अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणना होगी अर्थात् दस्तावेज की संगणना करते हुए उनकी समुचित मूल्यांकन कर 30 दिन के अंदर आवेदक को संगणना के बारे में सूचना के साथ सूचित करेगा ।

- (78) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(3)(ख) :- प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी हैं। विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए। कोई संसूचना भेजेगा। (Information concerning his or her right with respect to review the decision as to the amount of fees charged or the form of access provided, including the particulars of the appellate authority, time limit, process and any other forms.)

टिप्पणी :-

- (a) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में,  
(b) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां समय-सीमा और प्रक्रिया  
(c) कोई अन्य प्ररूप भी हैं.  
(d) विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा।  
(e) आवेदक द्वारा द्वितीय अपील या शिकायत करने पर सूचना आयुक्त द्वितीय अपील या शिकायत की सुनवाई और कार्रवाई करने के बाद आवेदक को पुनर्विलोकन करने के लिए सूचित करेगा।
- (79) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(4) :- जहाँ, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है। संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो। (Where access to the record or a part thereof is required to be provided under this Act and the person to whom access is to be provided is sensorily disabled, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall provide assistance to enable access to the information, including providing such assistance as may be appropriate for the inspection.)

टिप्पणी :- आवेदक को निरीक्षण करवाने के समय लोक जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी आवेदक को समुचित सहायता प्रदान करेगा जिससे कि आवेदक दस्तावेज का निरीक्षण कर सके और उसे चिन्हित कर प्राप्त कर सके।

- (80) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(5) :- जहाँ, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप विधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए: (Where access to information is to be provided in the printed or in any electronic format, the applicant shall, subject to the provisions of sub-section (6), pay such fee as may be prescribed:)

परन्तु धारा 6(1), धारा 7(1) और धारा 7(5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी। (Provided that the fee prescribed under Section 6(1), Sections 7(1) and 7(5) shall be reasonable and no such fee shall be charged from the persons who are of below poverty line as may be determined by the appropriate Government.)

टिप्पणी :-

- (a) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धारा 7(6) के प्रावधान के अनुसार सूचना उपलब्ध होगी।  
(b) अन्य माध्यमों से दस्तावेज लेने पर युक्तियुक्त फीस देना होगा।  
(c) ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा फीस देना होगा।

(d) कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी अर्थात दस्तावेज के अलावा अन्य शुल्क नहीं देना होगा (जैसे :- डाक खर्च ; मजदूरी खर्च; प्रतिदिन कार्य खर्च)।

(81) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) :- धारा 7(5) में किसी बात के होते हुए भी , जहाँ कोई लोक प्राधिकारी धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहाँ सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। ( Notwithstanding anything contained in section 7(5), the person making request for the information shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply with the time limits specified in sub-section 7(1).)

**टिप्पणी** :- लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिन की सूचना देने की अवधि समाप्त होने पर मुफ्त अर्थात बिना शुल्क के सत्यापित दस्तावेज के साथ सूचना उपलब्ध कराएँगे ।

(82) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(7) :- धारा 7(1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व , यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा। ( Before taking any decision under section 7(1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall take into consideration the representation made by a third party under section 11.)

**टिप्पणी** :- लोक जन सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन “पर व्यक्ति” द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा । इसका मतलब यह नहीं कि लोक जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं देगा लोक जन सूचना अधिकारी आवेदक को पर व्यक्ति को सूचित करते हुए एक सूचना अवश्य देगा उसके बाद “पर व्यक्ति” द्वारा दिए गए प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएगा और “पर व्यक्ति” किस आधार पर हुआ उसकी जानकारी लोक जन सूचना अधिकारी देगा । जब लोक जन सूचना अधिकारी को उस सूचना के बारे में पता हो गया तो वह व्यक्ति लोक जन सूचना अधिकारी के लिए भी “ पर व्यक्ति” है इसलिए संबंधित सूचना “पर व्यक्ति” से नहीं रहा वह सूचना सार्वजनिक सूचना हो गई क्योंकि वह सरकारी रिकॉर्ड में आ गया है ।

(83) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(8) :- जहाँ , किसी अनुरोध को 6 (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहाँ, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को. (Where a request has been rejected under sub-section(1), the CPIO or SPIO, as the case may be, shall communicate to the person making the request) ,—

(84) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(8)( i) :- ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण ( The reasons for such rejection);

(85) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(8)(ii) :- वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी: और (The period within which an appeal against such rejection may be preferred ); and

(86) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(8)(iii) :- अपील प्राधिकारी की विशिष्टियाँ, संसूचित करेगा। (The particulars of the appellate authority)

**टिप्पणी** :- लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत करने या सूचना देने की स्थिति में प्रथम अपीलीय पदाधिकारी/ प्राधिकार/प्राधिकारी का नाम और पूर्ण पता के साथ सूचना देना है ।

(87) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) :- किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे माँगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। (An information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question.)

**टिप्पणी :-** आवेदक जिस प्रारूप में सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन देगा लोक जन सूचना अधिकारी उस प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराएगा क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(क) के अनुसार कार्यालय के सभी अभिलेखों को सूचीबद्ध और कंप्यूटरीकृत 120 दिन में करना है जिससे कि युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए सूचना उपलब्ध कराना है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (Section 8 of Right To Information Act)

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट (Exemption from disclosure of information)

**(88) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) :-**

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी ( Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen)–

**(89) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(क.अ) :-** सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो ; (Information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence)

**टिप्पणी :-** सूचना प्रकटन करने से भारत की प्रभुता और अखंडता , राज्य की सुरक्षा , राजनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या किसी अपराध को करने का उत्तेजन होगा, उसको लोक जन सूचना अधिकारी साबित करे नहीं तो हमें सत्यापित दस्तावेज के साथ सूचना उपलब्ध कराएँ।

**(90) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(ख.ब) :-** सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है ( Information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court)

**टिप्पणी :-** सूचना जिसका प्रकाशन को न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या इसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है , अगर न्यायालय या अधिकरण ऐसा कोई आदेश दिया है तो उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं अन्यथा यह साबित करें प्रकटन से न्यायालय का अवमान किस प्रकार होगा यह लोक जन सूचना अधिकारी साबित करते हुये मुफ्त सत्यापित दस्तावेज के साथ सूचना उपलब्ध कराएँ ।

**(91) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(ग.स) :-** सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा ; (Information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature )

**टिप्पणी :-** लोक जन सूचना अधिकारी यह साबित करें कि इसकी सूचना प्रकटन से संसद या किसी राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग होते हैं क्योंकि संसद या किसी राज्य विधानमंडल जनता के द्वारा दिए गए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष करों से संचालित होते हैं और संसद या किसी राज्य विधानमंडल के जनता के प्रतिनिधि के रूप में क्रमशः सांसद या विधायक रहते हैं और संसद या किसी राज्य विधानमंडल में जनता के लिए कानून बनते/बनाए जाते हैं इसलिए जनता सर्वोपरि हैं अन्यथा मुफ्त सत्यापित दस्तावेज के साथ सूचना उपलब्ध कराएँ ।

- (92) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(घ,d) :- सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ; ( Information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information )

**टिप्पणी** :- सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। इससे साबित होता है कि आपके कार्यालय में पारदर्शिता नहीं है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है इसी कारण इतने बड़े-बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहे हैं जहाँ पर जनता के टैक्सों के पैसे लगते हैं वहाँ पर गोपनीयता खत्म हो जाती है। ज्यादा गोपनीय का नतीजा यह है कि बड़े-बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहे हैं और बड़े-बड़े घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी देश को लूट रहे हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे घोटालेबाज जनता के टैक्सों के पैसे लेकर भाग गए और इनमें बैंक के अधिकारी के शामिल हैं लोक जन सूचना अधिकारी यह साबित करें कि इसकी सूचना प्रकटन से किस प्रकार नुकसान होगा अन्यथा मुफ्त सत्यापित दस्तावेज के साथ सूचना उपलब्ध कराएँ।

- (93) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (ङ.e) :- किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वसिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है; ( Information available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information)

**टिप्पणी** :- यह सक्षम प्राधिकारी को जिस प्रकार पता चला है कि किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वसिक नातेदारी की सूचना उपलब्ध नहीं कराना है यह सक्षम लोक प्राधिकारी साबित करके मुफ्त सत्यापित दस्तावेज के साथ सूचना उपलब्ध कराएँ अन्यथा इससे यह साबित होता है कि लोक प्राधिकारी और सक्षम प्राधिकारी दोनों भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत में भ्रष्टाचार आढ़ में घूसखोरी हो रही है।

- (94) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (च.f) :- किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना (Information received in confidence from foreign Government)

**टिप्पणी** :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कार्यालय में पारदर्शिता लाया जाएगा और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। लोक जन सूचना अधिकारी और सक्षम पदाधिकारी इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है इस आधार पर मुफ्त सत्यापित दस्तावेज के साथ सूचना उपलब्ध कराएँ।

- (95) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (छ.g) :- सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा ; ( Information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes)

**टिप्पणी :-** लोक जन सूचना अधिकारी या साबित करें कि किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा सिर्फ लोक जन सूचना अधिकारी के द्वारा धारा लिख देने से नहीं होगा इसका प्रमाण के साथ प्रमाणित प्रति उपलब्ध करा ना होगा अन्यथा मुफ्त सत्यापित दस्तावेज के साथ सूचना उपलब्ध कराएँ ।

- (96) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (ज.ह) :- सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी ; ( Information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders)

**टिप्पणी :-** सूचना देने से अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी इस तरह का बहाना बनाकर लोक जन सूचना अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और सूचना दे देने पर घूसखोरी और भ्रष्टाचार करने में दिक्कत हो जाएगी यह साबित करके दे कि इसके प्रकटन से बाधा उत्पन्न होगी अन्यथा मुफ्त सत्यापित दस्तावेज के साथ सूचना उपलब्ध कराएँ ।

- (97) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(झ.1) :- मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं : ( Cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers:

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री, जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए न परन्तु यह और कि वे विषय, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं. प्रकट नहीं किए जाएंगे । (Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over: Provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed);

**टिप्पणी :-** मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख जनता के द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से खरीदे और कार्यालय संचालित किए जाते हैं इस आधार पर उसका प्रकटन करना अनिवार्य है अन्यथा यह साबित करे जनता के द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से नहीं खरीदे जाते हैं और कार्यालय संचालित नहीं किए जाते हैं अगर नहीं तो प्रमाण के लिए प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए अन्यथा मुफ्त सत्यापित दस्तावेज के साथ सूचना उपलब्ध कराएँ ।

- (98) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (ञ.1) :- सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है: ( Information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as

the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information: )

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी राज्य विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा। ( Provided that the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.)

**टिप्पणी :-** जो सूचना संसद या किसी राज्य विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को सूचना देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, मेरे द्वारा माँगी गई सूचना को लोक जन सूचना अधिकारी संसद या संबंधित विधानसभा में प्रस्तुत नहीं करेगा यह साबित करके दे अगर संसद या किसी राज्य विधान-मंडल द्वारा माँगने पर लोक जन सूचना अधिकारी सूचना और दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है तो लोक जन सूचना अधिकारी को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए और अबतक लोक जन सूचना अधिकारी जितना वेतन और सुख सुविधाएँ प्राप्त की है उन सभी को वसूल कर सरकारी खजाने में जमा किया जाए और उसकी प्रति हमें उपलब्ध कराई जाए।

- (99) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (2) :-** शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में, धारा 8(1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुँच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है। ( Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section (1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.)

टिप्पणी :- लोक जन सूचना अधिकारी यह साबित करें जो भी दस्तावेज़ है वह लोकहित से बढ़कर संरक्षित हितों को ज्यादा नुकसान पहुँचाती है और जिस प्रकार संरक्षित हितों का नुकसान पहुँचा रही है उसका भी प्रमाण दिया जाए अन्यथा सूचना उपलब्ध कराई जाए और झूठी सूचना देने के लिए लोक जन सूचना अधिकारी को उसकी सेवा से सेवा मुक्त किया जाए।

### सूचना का अधिकार 2005 की धारा 8(2)

#### शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (Official Secrets Act, 1923 )

#### (1923 का अधिनियम संख्यांक 19) [2 अप्रैल, 1923]

शासकीय गुप्त बातों से संबंधित विधि \* के समेकन और संशोधन के लिए अधिनियम यह समीचीन है कि 2\*\*\* शासकीय गुप्त बातों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन किया जाए ; अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है : -

#### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना-

- (1) यह अधिनियम शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह सरकार के सेवकों और भारत के नागरिकों को भी जो भारत के बाहर हैं, लागू है।

#### 2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,-

- (1) ऐसे स्थान के प्रति, जो सरकार का है, किसी निर्देश के अन्तर्गत ऐसा स्थान भी है जो सरकार के किसी विभाग के अधिभोग में है, भले ही वह स्थान सरकार में वास्तविक रूप में निहित हो या न हो ;
- (2) संसूचित करने या प्राप्त करने के प्रति निर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार संसूचित करना या

प्राप्त करना है चाहे वह पूर्ण हो या आंशिक और चाहे रेखाचित्र , रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को ही अथवा उसके सार, आशय या वर्णन को संसूचित किया गया हो या प्राप्त किया गया हो ; किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज को अभिप्राप्त करने या प्रतिधृत रखने के प्रति निर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज की पूरी या उसके किसी भाग की नकल करना या नकल करवाना भी है ; और किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज की संसूचना के प्रतिनिर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज का अन्तरण या प्रेषण भी है ;

- (3) "दस्तावेज" के अन्तर्गत दस्तावेज का भाग भी है ;
- (4) "प्रतिमान" के अन्तर्गत डिजाइन, पैटर्न और नमूना भी है ;
- (5) "युद्ध सामग्री" के अन्तर्गत कोई पूरा पोत , पनडुब्बी, वायुयान, टैंक या सटश इंजिन , आयुध और गोलाबारूद , तारपीडो या सुरंग, जो युद्ध में उपयोग के लिए आशयित या अनूकूलित हो या उसका कोई भाग तथा ऐसे उपयोग के लिए आशयित, चाहे वास्तविक या प्रस्थापित, कोई अन्य चीज, सामग्री या युक्ति है ;
- (6) "सरकार के अधीन पद" के अन्तर्गत सरकार \* के किसी विभाग में या उसके अधीन कोई पद या नियोजन है ;
- (7) फोटोग्राफ" के अन्तर्गत बिना धुली हुई फिल्म या प्लेट भी है ;
- (8) प्रतिषिद्ध स्थान" से अभिप्रेत है-
  - (क) कोई रक्षा संकर्म, आयुधशाला, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक बल का संस्थापन या आस्थान , सुरंग, सुरंग-क्षेत्र, शिविर, पोत या वायुयान जो सरकार का है, या सरकार के या उसकी ओर से अधिभोग में है कोई सैनिक तारयंत्र या टेलीफोन, जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है , कोई बेतार या संकेत स्टेशन या कार्यालय , जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है और कोई कारखाना , डाक्यार्ड या अन्य स्थान , जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है , और जिसका उपयोग किसी युद्ध सामग्री के या तत्संबंधी किन्हीं रेखाचित्रों , रेखांकों, प्रतिमानों या दस्तावेजों के निर्माण, मरम्मत, बनाने या भंडार में रखने के प्रयोजन के लिए या युद्ध के समय किन्हीं उपयोगी धातुओं, तेल या खनिजों के प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है ;
  - (ख) कोई ऐसा स्थान , जो सरकार का नहीं है और जहां कोई युद्ध सामग्री या तत्संबद्ध कोई रेखाचित्र , प्रतिमान, रेखांक या दस्तावेज सरकार के साथ, या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के साथ, संविदा के अधीन या अन्यथा सरकार की ओर से बनाई जा रही, मरम्मत की जा रही या प्राप्त की जा रही या भंडार में रखी जा रही है ;
  - (ग) कोई ऐसा स्थान , जो सरकार का है या सरकार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है और जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने, इस आधार पर कि उससे संबंधित जानकारी या उसे नुकसान शत्रु को उपयोगी होगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय यह घोषित कर दिया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान है और जहां उसकी बाबत अधिसूचना की प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में लगा दी गई है ;
  - (घ) कोई रेल, सड़क, मार्ग या जलसरणी या भूमि मार्ग या जल मार्ग द्वारा संचार के अन्य साधन (जिनके अन्तर्गत उनके भागरूप या उनसे संबंधित कोई संकर्म या संरचनाएं भी हैं) या गैस , जल या विद्युत् संकर्मों या सार्वजनिक प्रकार के प्रयोजनों के लिए अन्य संकर्मों के वास्ते प्रयुक्त कोई स्थान या कोई स्थान जहां युद्ध सामग्री या तत्सम्बद्ध कोई रेखाचित्र, प्रतिमान, रेखांक या दस्तावेज सरकार की ओर से बनाए जाने से अन्यथा बनाए जा रहे, मरम्मत किए जा रहे या भंडार में रखे जा रहे हैं, जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने इस आधार पर कि उससे संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा , शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय यह घोषित कर दिया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान है और जहां उसकी बाबत अधिसूचना की प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में लगा दी गई है ;
- (9) "रेखाचित्र" के अन्तर्गत कोई फोटोग्राफ या किसी स्थान या चीज का प्रतिरूपण करने वाला अन्य ढंग है ; और
- (10) "पुलिस अधीक्षक" के अन्तर्गत समान या वरिष्ठ पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी और ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसे केन्द्रीय सरकार ने \* पुलिस अधीक्षक की शक्तियां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त की हों ।

### 3. गुप्तचरी के लिए शास्तियां -

(1) यदि कोई व्यक्ति, राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजन के लिए-

(क) किसी प्रतिषिद्ध स्थान के समीप जाएगा , उसका निरीक्षण करेगा , उस पर से गुजरेगा या उसके निकट होगा या उसमें प्रवेश करेगा ; या

(ख) कोई ऐसा रेखाचित्र , रेखांक, प्रतिमान या टिप्पण बनाएगा या करेगा जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकता है, या होने के लिए आशयित है ; या

(ग) कोई ऐसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द , या कोई ऐसा रेखाचित्र , रेखांक, प्रतिमान, चीज या टिप्पण या अन्य दस्तावेज , या जानकारी अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित करेगा जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है , हो सकती है, या होने के लिए आशयित है [या जो ऐसे मामले से संबंधित है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता , राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रभावित होने की संभाव्यता हैट ;

तो वह कारावास से दण्डनीय होगा , जिसकी अवधि उस दशा में जिसमें वह अपराध किसी रक्षा संकर्म, आयुधशाला, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक बल के स्थापन या आस्थान, सुरंग, सुरंग क्षेत्र, कारखाने, डाक्यार्ड, शिविर, पोत या वायुयान के संबंध में अथवा अन्यथा रूप से सरकार के नौसैनिक , सैनिक या वायुसैनिक बल के कार्यों के संबंध में या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी के संबंध में किया जाता है चौदह वर्ष तक की तथा अन्य मामलों में तीन वर्ष तक की हो सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए \* अभियोजन पर यह दर्शित करना आवश्यक नहीं होगा कि अभियुक्त व्यक्ति किसी ऐसे विशिष्ट कार्य का दोषी है जिसकी प्रवृत्ति राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयोजन दर्शित करने की है , और इस बात के होते हुए भी कि उसके विरुद्ध कोई ऐसा कार्य साबित नहीं होता है उसे सिद्धदोष ठहराया जा सकेगा यदि मामले की परिस्थितियों या उसके आचरण या उसके ज्ञात चरित्र से, जैसा कि साबित हो, यह प्रतीत होता है कि उसका प्रयोजन राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला प्रयोजन था ; और यदि, किसी प्रतिषिद्ध स्थान में प्रयुक्त या उससे संबद्ध अथवा ऐसे स्थान में कि किसी चीज से सम्बद्ध किसी रेखाचित्र , रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी अथवा संकेत शब्द को विधिपूर्ण प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा बनाया, अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या संसूचित किया जाता है, और मामले की परिस्थितियों या उसके आचरण या उसके ज्ञात चरित्र से जैसा कि साबित हो यह प्रतीत होता है कि उसका प्रयोजन राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला प्रयोजन था तो ऐसे रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज, [जानकारी, संकेतकी या संकेत शब्द की बाबत या उपधारित किया जाएगाट कि उसे राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन के लिए बनाया, अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या संसूचित किया गया था ।

### 4. विदेशी अभिकर्ताओं से सम्पर्क का कतिपय अपराधों के किए जाने का साक्ष्य होना-

(1) धारा 3 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में यह तथ्य कि वह , चाहे [भारत के भीतर या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता से सम्पर्क करता रहा है या उसने सम्पर्क करने का प्रयत्न किया है इस बात को साबित करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा कि उसने , राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए ऐसी जानकारी अभिप्राप्त की है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है , हो सकती है या होने के लिए आशयित है ।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए, किन्तु पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-

- (क) किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जा सकेगी कि वह किसी विदेशी अभिकर्ता से सम्पर्क करता रहा है, यदि-
- (i) वह या तो 3[भारत के भीतर या बाहर , किसी विदेशी अभिकर्ता के ठिकाने पर गया है या विदेशी अभिकर्ता के साथ साहचर्य या सहयुक्ति करता रहा है, या
- (ii) या तो 3[भारत के भीतर या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता का नाम या पता या उसके बारे में कोई अन्य जानकारी उसके कब्जे में पाई गई है या उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अभिप्राप्त की गई है ;
- (ख) विदेशी अभिकर्ता" पद के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य 3[भारत के भीतर या बाहर करने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी विदेशी शक्ति द्वारा नियोजित है या रहा है या जिसकी बाबत यह प्रतीत होता है कि उसके ऐसा होने या रहने का संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार है अथवा जिसने किसी विदेशी शक्ति के हित में ऐसा कोई कार्य 3[भारत के भीतर या बाहर किया है या करने का प्रयत्न किया है या उसके ऐसा करने का युक्तियुक्त संदेह है ;
- (ग) किसी ऐसे पते की बाबत चाहे वह 3[भारत के भीतर हो या बाहर , जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसके किसी विदेशी अभिकर्ता के लिए आशयित संसूचनाओं की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पता होने का संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार है , अथवा किसी ऐसे पते की बाबत जिसमें कोई विदेशी अभिकर्ता निवास करता है या जिसमें वे संसूचनाएं देने या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आता जाता है या जिसमें वह कोई कारबार करता है , यह उपधारित किया जाएगा कि वह विदेशी अभिकर्ता का पता है और ऐसे पते वाली संसूचनाएं विदेशी अभिकर्ता की संसूचनाएं हैं ।

#### 5. जानकारी की सदोष संसूचना आदि -

- (1) यदि कोई व्यक्ति , जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई ऐसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी है जो किसी प्रतिषिद्ध स्थान से सम्बद्ध या उसमें प्रयुक्त की जाती है या ऐसे स्थान में की किसी चीज से सम्बद्ध है [अथवा जिससे शत्रु को प्रत्यक्षतः या परोक्षतः सहायता होनी सम्भाव्य है , या जो ऐसे मामले से संबंधित है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता , राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रपूर्ण संबंधों के प्रभावित होने की संभाव्यता है या जो इस अधिनियम के उल्लंघन में बनाई या अभिप्राप्त की गई है अथवा जो उसे सरकार के अधीन पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विश्वासपूर्वक सौंपी गई है अथवा जिसकी उसे अभिप्राप्ति या जिस तक उसकी पहुंच उसकी उस स्थिति के कारण हुई जो ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो सरकार के अधीन पद धारण करता है या धारण कर चुका है या ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो सरकार की ओर से की गई किसी संविदा को धारण करता है या धारण कर चुका है या ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो उस किसी व्यक्ति के अधीन नियोजित है या रह चुका है जो ऐसा पद या संविदा धारण करता है या कर चुका है-
- (क) उस संकेतकी या संकेत शब्द , रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी की संसूचना उस व्यक्ति से, जिसे उससे संसूचित करने को वह प्राधिकृत है, या किसी न्यायालय से, या उस व्यक्ति से , जिसको राज्य के हितों में , उसे संसूचित करना उसका कर्तव्य है , भिन्न किसी व्यक्ति को जानबूझकर संसूचित करेगा ; या
- (ख) अपने कब्जे में की जानकारी का उपयोग किसी विदेशी शक्ति के फायदे के लिए या ऐसी किसी अन्य रीति में करेगा जो राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो ; या
- (ग) उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज को अपने कब्जे या नियंत्रण में प्रतिधृत रखेगा जब कि उसे उसको प्रतिधारित रखने का अधिकार नहीं है या जब कि उसे प्रतिधारित रखना उसके कर्तव्य के प्रतिकूल है या विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा उसकी वापसी या व्ययन के संबंध में दिए गए सब निदेशों का अनुवर्तन करने में जानबूझकर असफल होगा ; या

(घ) उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज, गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या जानकारी की युक्तियुक्त संभाल करने में असफल होगा या ऐसे आचरण करेगा जिससे उसकी सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो जाए, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को स्वेच्छया प्राप्त करेगा जब कि उस समय जब वह उसे प्राप्त करता है वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह संकेतकी, संकेत शब्द, रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी इस अधिनियम के उल्लंघन में संसूचित की गई है तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी है जो युद्ध सामग्री से सम्बद्ध है उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः किसी विदेशी शक्ति को, या किसी ऐसी अन्य रीति में जो राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो, संसूचित करेगा तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(4) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

**6. वर्दियों का अप्राधिकृत उपयोग, रिपोर्टों का मिथ्याकरण, कूटरचना, प्रतिरूपण और मिथ्या दस्तावेज -**

**(1) यदि कोई व्यक्ति प्रतिषिद्ध स्थान में प्रवेश पाने के या प्रवेश पाने में किसी व्यक्ति को सहायता देने के प्रयोजन के लिए या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी अन्य प्रयोजन के लिए -**

(क) किसी नौसैनिक, सैनिक, वायुसैनिक, पुलिस या अन्य शासकीय वर्दी का या उससे लगभग उतनी मिलती जुलती वर्दी का, कि उससे धोखा हो सकता है, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उपयोग करेगा या पहनेगा, या अपने को ऐसा व्यक्ति मिथ्या रूपेण व्यपदिष्ट करेगा जो किसी भी ऐसी वर्दी का उपयोग करने या पहनने का हकदार है या हकदार रहा है; या

(ख) मौखिक रूप से या किसी घोषणा या आवेदन में लिखित रूप में, या अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज में कोई मिथ्या कथन या कोई लोप जानबूझकर करेगा या करने में मौनानुकूल रहेगा; या

(ग) किसी पासपोर्ट को या किसी नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक या पुलिस या शासकीय पास, अनुज्ञापत्र, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या उसी प्रकार की अन्य दस्तावेज को (जो एतत्पश्चात् इस धारा में शासकीय दस्तावेज के रूप में निर्दिष्ट है) कूटरचित करेगा, बदलेगा या बिगाड़ेगा या ऐसी किसी कूटरचित, बदली हुई या अनियमित शासकीय दस्तावेज का जानबूझकर उपयोग करेगा या उसे अपने कब्जे में रखेगा; या

(घ) सरकार के अधीन पद धारण करने वाला, या धारण करने वाले व्यक्ति के नियोजन में, व्यक्ति होने का या ऐसा व्यक्ति होने का या न होने का, जिसको शासकीय दस्तावेज या गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द सम्यक् रूपेण दिया गया या संसूचित किया गया है, प्रतिरूपण करेगा या मिथ्या व्यपदेशन करेगा या किसी शासकीय दस्तावेज, गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को चाहे अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिप्राप्त करने के आशय से कोई मिथ्या कथन जानबूझकर करेगा; या

(ङ) किसी ऐसी डाइ, मुद्रा या स्टाम्प को जो सरकार के किसी विभाग का या उसके स्वामित्वाधीन हो या जिसका प्रयोग, निर्माण या प्रदाय सरकार के विभाग द्वारा या किसी ऐसे राजनयिक, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक प्राधिकारी द्वारा किया जाता हो जो सरकार द्वारा नियुक्त या उसके प्राधिकार के अधीन कार्यशील हो, सरकार के विभाग या संबंधित प्राधिकारी के प्राधिकार के बिना, अथवा किसी ऐसी डाइ, मुद्रा या स्टाम्प से लगभग इतने मिलते जुलते हैं कि उससे धोखा हो सके किसी डाइ, मुद्रा या स्टाम्प

को प्रयुक्त करेगा या अपने कब्जे में या नियंत्रणाधीन रखेगा या किसी ऐसी डाइ , मुद्रा या स्टाम्प को कूटकृत करेगा अथवा किसी ऐसी कुटकृत डाइ , या मुद्रा या स्टाम्प को जानबूझकर प्रयुक्त करेगा या अपने कब्जे में या नियंत्रणाधीन रखेगा,

तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

**(2) यदि कोई व्यक्ति, राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजन के लिए -**

(क) किसी शासकीय दस्तावेज को , भले ही वह पूरी अथवा उपयोग के लिए जारी की गई हो या नहीं , प्रतिधारित रखेगा जब कि उसे प्रतिधृत रखने का उसे कोई अधिकार नहीं है, या जब कि उसको प्रतिधृत रखना उसके कर्तव्य के प्रतिकूल है , या सरकार के किसी विभाग या ऐसे विभाग के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उसके लौटाने या व्ययन के संबंध में दिए गए निदेशों का अनुवर्तन करने में जानबूझकर असफल रहेगा, या

(ख) केवल अपने प्रयोग के लिए जारी की गई किसी शासकीय दस्तावेज पर कब्जा अन्य व्यक्ति को करने देगा या ऐसे जारी किए गए किसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को संसूचित करेगा , या विधिपूर्ण प्राधिकार अथवा प्रतिहेतु के बिना किसी ऐसी शासकीय दस्तावेज या गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को जो उससे भिन्न किसी व्यक्ति के प्रयोग के लिए जारी किया गया हो अपने कब्जे में रखेगा या किसी शासकीय दस्तावेज को पाने पर या अन्यथा अपने कब्जे में लेकर उस व्यक्ति या प्राधिकारी को , जिसके द्वारा या जिसके प्रयोग के लिए वह जारी की गई थी , या किसी पुलिस अधिकारी को उसे प्रत्यावर्तित करने में जानबूझकर असफल रहेगा, या

(ग) पूर्वोक्त जैसे किसी डाइ , मुद्रा या स्टाम्प को विधिपूर्ण प्राधिकार या प्रतिहेतु के बिना विनिर्मित करेगा या विक्रय करेगा अथवा विक्रय के लिए अपने कब्जे में रखेगा,

तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से , जिसकी अवधि [तीन वर्षों तक की हो सकेगी , या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

(4) धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंध, सरकार के नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक मामलों से संबद्ध या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी से संबद्ध इस धारा के अधीन अपराध के लिए किसी अभियोजन में राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन को साबित करने के प्रयोजनार्थ वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन दण्डनीय \* अपराधों के अभियोजनों में राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन को साबित करने के लिए लागू होते हैं ।

**7. पुलिस अधिकारियों या संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों के काम में हस्तक्षेप करना -**

(1) किसी प्रतिषिद्ध स्थान के समीप कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी , या [संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य को, जो उसी प्रतिषिद्ध स्थान के सम्बन्ध में गार्ड , संतरी, पेट्रोल या वैसे ही अन्य कर्तव्य पर लगा हो , बाधित नहीं करेगा, जानबूझकर मार्ग भ्रष्ट नहीं करेगा या अन्यथा उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा या अड़चन नहीं डालेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करेगा तो वह कारावास से , जिसकी अवधि [तीन वर्षों तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

**8. अपराधों के किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी देने का कर्तव्य -**

(1) प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पुलिस अधीक्षक को या अन्य पुलिस अधिकारी को, जो निरीक्षक की पक्ति से नीचे नहीं है और जो इस निमित्त पुलिस के महानिरीक्षक या आयुक्त द्वारा सशक्त किया गया है, या [संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य को जो गार्ड, संतरी, पेट्रोल या वैसे ही अन्य कर्तव्य पर लगा हो, धारा 3 के अधीन या धारा 9 के साथ पठित धारा 3 के अधीन किसी अपराध से या संदिग्ध अपराध से सम्बद्ध ऐसी

जानकारी, जो उसकी अपनी शक्ति में है, मांग किए जाने पर दे और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो और उसके युक्तियुक्त व्ययों के निविदान पर ऐसे युक्तियुक्त समय और स्थान पर हाजिर हो जैसा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए।

- (2) यदि कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी देने में या पूर्वोक्त रूप से हाजिर होने से असफल होगा तो वह कारावास से , जो [तीन वर्षट तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

#### 9. प्रयत्न, उद्दीपन आदि -

जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा या उसका किया जाना दुष्प्रेरित करेगा वह ऐसे दंड से दण्डनीय होगा और अपने विरुद्ध ऐसी रीति में कार्यवाही किए जाने का भागी होगा मानो उसने ऐसा अपराध किया हो।

#### 10. गुप्तचरों को संश्रय देने के लिए शास्ति -

- (1) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को संश्रय देगा जिसकी बाबत वह जानता है , या उसके पास इस अनुमान के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसा व्यक्ति है जो धारा 3 के अधीन या धारा 9 के साथ पठित धारा 3 के अधीन अपराध करने वाला है या कर चुका है अथवा अपने अधिभोग में या अपने नियंत्रण के अधीन किन्हीं परिसरों में ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जानबूझकर मिलने या समवेत होने देगा, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।
- (2) उपरोक्त जैसे किसी व्यक्ति को संश्रय देने वाले या उपरोक्त जैसे किन्हीं व्यक्तियों को अपने अधिभोग में या अपने नियंत्रण के अधीन किन्हीं परिसरों में मिलने या समवेत होने देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पुलिस अधीक्षक को या अन्य पुलिस अधिकारी को जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है और जो इस निमित्त पुलिस के महानिरीक्षक या आयुक्त द्वारा सशक्त किया गया है , किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों संबंधी ऐसी जानकारी जो उसकी अपनी शक्ति में है, मांग किए जाने पर दे और यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी जानकारी को देने में असफल रहेगा तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।
- (3) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से , जिसकी अवधि [तीन वर्षट तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

#### 11. तलाशी वारंट -

- (1) यदि किसी प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट , प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का समाधान शपथ पर जानकारी द्वारा करा दिया जाता है कि यह सन्देह किए जाने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया ही जाने वाला है , तो वह एक तलाशी वारंट दे सकेगा जो उसमें नामित किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की पंक्ति से नीचे नहीं है, इसके लिए प्राधिकृत करेगा कि वह किसी भी समय किन्हीं परिसरों या स्थान में, जो वारंट में लिखित है, यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक प्रवेश करे और उन परिसरों या स्थान की और वहां पाए गए प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी ले और कोई रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज या वैसी ही कोई वस्तु, या ऐसी कोई चीज, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध का साक्ष्य है जो किया जा चुका है या किया ही जाने वाला है और जो उसे उन परिसरों या स्थान या किसी ऐसे व्यक्ति के पास मिले, और जिसके बारे में या जिसके संबंध में उसके पास यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया ही जाने वाला है, अभिगृहीत करे।
- (2) जहां किसी पुलिस अधिकारी को, जो अधीक्षक की पंक्ति से नीचे नहीं है, यह प्रतीत होता है कि मामला महान आपात का है, और राज्य के हितों में अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, वहां वह अपने हस्ताक्षर सहित लिखित आदेश से किसी पुलिस अधिकारी को वैसा ही प्राधिकार दे सकेगा जैसा मजिस्ट्रेट के वारंट के द्वारा इस अपराध के अधीन दिया जा सकता है।

(3) जहां पुलिस अधिकारी द्वारा उपधारा ( 2) के अधीन कार्यवाही की गई है वहां वह , यथाशीघ्र ऐसी कार्यवाही की रिपोर्ट , प्रेसिडेंसी नगर में मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को और ऐसे नगर के बाहर जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट को देगा ।

**12. 1898 के अधिनियम 5 की धारा 337 के उपबन्धों को धारा 3, 5 और 7 के अधीन अपराधों को लागू होना -**

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 337 के उपबन्ध, धारा 3 के अधीन या धारा 5 के अधीन या धारा 7 के अधीन अथवा 9 के साथ पठित उक्त धारा 3, 5 और 7 में से किसी के अधीन दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे ऐसी अवधि के लिए जो सात वर्ष तक की हो सकेगी कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।]

**13. अपराधों के विचारण पर निर्बन्धन -**

- (1) [समुचित सरकारट द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई न्यायालय जो जिला या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर है , इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।
- (2) यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए विचारणाधीन कोई व्यक्ति आरोप विरचित किए जाने से पहले किसी समय सेशन न्यायालय द्वारा विचारण का दावा करता है तो यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उन्मोचित नहीं करता तो वह मामले को उस न्यायालय द्वारा विचारणार्थ सुपुर्द कर देगा , भले ही वह ऐसा मामला नहीं है जो उक्त न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय हो ।
- (3) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, [समुचित सरकारट \* या इस निमित्त [समुचित सरकारट द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के आदेश से या उससे प्राधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा ।
- (4) इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के प्रयोजनों के लिए वह अपराध या तो उस स्थान पर जहां वह वास्तव में किया गया था या [भारत] में किसी स्थान पर जहां अपराधी पाया जाए किया गया समझा जाएगा ।
- (5) इस धारा में समुचित सरकार से अभिप्रेत है-
  - (क) धारा 5 के अधीन किन्हीं अपराधों के सम्बन्ध में जो किसी प्रतिषिद्ध स्थान या किसी विदेशी शक्ति से संबंधित नहीं हैं, राज्य सरकार ; और
  - (ख) किसी अन्य अपराध के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ।]

**14. कार्यवाहियों से जनता का अपवर्जन -**

किन्हीं ऐसी शक्तियों के अतिरिक्त और उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो किन्हीं कार्यवाहियों से जनता का अपवर्जन करने का आदेश देने के बारे में न्यायालय को है , यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के या अपील में की कार्यवाहियों के दौरान या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विचारण के दौरान इस आधार पर कि कार्यवाहियों के दौरान दिए जाने वाले किसी साक्ष्य के या किए जाने वाले किसी कथन के प्रकाशन से राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अभियोजन पक्ष द्वारा यह आवेदन किया जाए कि समस्त जनता या उसका कोई भाग सुनवाई के किसी भाग के दौरान अपवर्जित कर दिया जाए तो न्यायालय उक्त आशय का आदेश दे सकेगा, किन्तु किसी भी दशा में दण्डादेश जनता के समक्ष दिया जाएगा ।

**15. कम्पनियों द्वारा अपराध -**

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित ऐसे दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी , जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक , प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए -

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है , और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।]

## शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923(Official Secrets Act, 1923)

**टिप्पणी :-** यह नियम वहाँ लागू होगा जहाँ पर किसी के जान का खतरा हो और यह नियम कहीं और लागू नहीं हो सकता क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 22 के तहत सभी नियम गौण हो जाते हैं और गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध कराना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवश्यक है ।

(100) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(3)** :- धारा 8(1) के खण्ड (क), खंड (ग) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी घटना , वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना , जो उस तारीख से , जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी:(Subject to the provisions of clauses (a), (c) and (i) of sub-section (1), any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened twenty years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section:)

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में , जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है , वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।(Provided that where any question arises as to the date from which the said period of twenty years has to be computed, the decision of the Central Government shall be final, subject to the usual appeals provided for in this Act.)

**टिप्पणी :-** इस धारा के तहत आरटीआई आवेदन देने की तिथि से 20 साल पूर्व तक की सूचना और संबंधित दस्तावेज किसी हाल में लोक जन सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा ।

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 9 (Section 9 of Right To Information Act)

### कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार

### “(Grounds for rejection to access in certain cases)”

धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहाँ अस्वीकार कर सकेगा, जहां पहुँच उपलब्ध कराने पेज :- 45

के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करेगा। (Without prejudice to the provisions of section 8, a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the State)

**टिप्पणी :-** सरकारी दस्तावेज माँगा है और सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज होता है सार्वजनिक दस्तावेज किसी का व्यक्तिगत दस्तावेज नहीं होता क्योंकि लोक जन सूचना अधिकारी भी उस पक्ष के लिए तृतीय पक्ष है और जब लोक जन सूचना अधिकारी को पता हो गया तो वह सार्वजनिक दस्तावेज हो गया। व्यक्तिगत सूचना वह होती है जो दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चले अर्थात् लोक जन सूचना अधिकारी तक को पता नहीं चले। इससे यह साबित होता है कि लोक जन सूचना अधिकारी की मंशा सूचना उपलब्ध कराने की नहीं है इस आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के विपरीत असम्भवपूर्ण कार्य कर रहे हैं। व्यक्तिगत सूचना में शारीरिक संबंध, सुहागरात आदि आता है। इस आधार पर लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए सारे तथ्य बेबुनियाद है इसलिए सही सूचना उपलब्ध कराई जाए।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10(Section 10 of Right To Information Act)

“पृथक्करणीयता ( Severability ) ”

(101) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10(1) :- जहाँ सूचना तक पहुँच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है, जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, वहाँ इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुँच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक् की जा सकती है। ( Where a request for access to information is rejected on the ground that it is in relation to information which is exempt from disclosure, then, notwithstanding anything contained in this Act, access may be provided to that part of the record which does not contain any information which is exempt from disclosure under this Act and which can reasonably be severed from any part that contains exempt information.)

**टिप्पणी :-** जो सूचना प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, वही सूचना देने में अस्वीकार किया जाता है और उसमें भी जो पहुँच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अंदर पड़ा हुआ नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तिसंगत/ठीक/वाजिब/प्रमाणित/ सिद्ध रूप से अलग की जा सकती है।

(102) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10(2) :- जहाँ उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुँच अनुदत्त की जाती है, वहाँ, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए आवेदक को एक सूचना देगा कि ( Where access is granted to a part of the record under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall give a notice to the applicant, informing) –

**टिप्पणी :-** धारा 10(1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुँच स्वीकार की जाती है, वहाँ केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदक को निम्नलिखित में से एक सूचना देगा :-

(103) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(क) :- अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को, जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक् करने के पश्चात् उपलब्ध कराया

जा रहा है ; (That only part of the record requested, after severance of the record containing information which is exempt from disclosure, is being provided;)

**टिप्पणी :-** जिस सूचना के प्रकट करने का छूट प्राप्त है अभिलेख से उस सूचना को अलग कर सूचना उपलब्ध कराना है, सूचना देने से रोक नहीं सकता है ।

(104) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(ख) :- विनिश्चय के लिए कारण , जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति , जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी हैं : ( The reasons for the decision, including any findings on any material question of fact, referring to the material on which those findings were based;)

**टिप्पणी :-** निर्णय के लिए कारण , जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न और उस पर निष्कर्ष , निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष दिए हैं उपलब्ध कराना हैं ।

(105) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(ग) :- विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम ; (The name and designation of the person giving the decision;)

**टिप्पणी :-** निर्णय देने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम उपलब्ध कराना हैं ।

(106) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(घ) :- उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है ; और (The details of the fees calculated by him or her and the amount of fee which the applicant is required to deposit; and)

**टिप्पणी :-** उसके द्वारा दस्तावेज को गिनकर सही फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है ।

(107) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(ङ) :- सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुँच का प्ररूप , जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, धारा 19 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी की विशिष्टियाँ, समयसीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुँच का प्ररूप भी है । ( His or her rights with respect to review of the decision regarding non-disclosure of part of the information, the amount of fee charged or the form of access provided, including the particulars of the senior officer specified under section 19(1) or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, time limit, process and any other form of access.)

**टिप्पणी :-** सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में निर्णय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार जो किसी के प्रभाव या असर में न हो /स्वतंत्र फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुँच का प्रकार, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, धारा 19 (1) के अधीन जैसा सोचा गया था वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी की विशेष विवरण , समयसीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुँच का प्रकार भी है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(Section 11 of Right To Information Act)

पर व्यक्ति सूचना "(Third party information)"

(108) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 (1) :- जहाँ, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहाँ, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पाँच दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा। ( Where a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, intends to disclose any information or record, or part thereof on a request made under this Act, which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall, within five days from the receipt of the request, give a written notice to such third party of the request and of the fact that the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, intends to disclose the information or record, or part thereof, and invite the third party to make a submission in writing or orally, regarding whether the information should be disclosed, and such submission of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information:)

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा। ( Provided that except in the case of trade or commercial secrets protected by law, disclosure may be allowed if the public interest in disclosure outweighs in importance any possible harm or injury to the interests of such third party.)

### टिप्पणी :-

- उस व्यक्ति के लिए लोक जन सूचना अधिकारी भी पर व्यक्ति है और उसको इस विषय के बारे में कैसे पता लग गया सबसे पहला सवाल यह खड़ा हो जाता है। इस आधार पर लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया कथन गलत है।
- सरकारी दस्तावेज में जो उपलब्ध है हमने वह सूचना माँगी है। हमने पर व्यक्ति के सुहागरात का फोटो नहीं माँगा है या कोई ऐसा दस्तावेज नहीं माँगा है जिससे कि वह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हो। सरकारी कार्यालय और कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज जनता के द्वारा दिए गए टैक्सों के पैसों के हैं इसलिए जनता उसका मालिक है और जनता को सूचना देना लोक जन सूचना अधिकारी का कर्तव्य बनता है।
- लोक जन सूचना अधिकारी अगर अनभिज्ञ है तो उसको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(क) और (ख) के साथ-साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(घ) का अध्ययन कर लेना चाहिए।
- लोक जन सूचना अधिकारी पर व्यक्ति को 5 दिनों में सूचित कर इसकी सूचना हमें नहीं कराए इससे साबित होता है कि यह पर व्यक्ति से संबंधित नहीं है इन्होंने लोक जन सूचना अधिकारी ने खुद इसे पर व्यक्ति बना दिया है और मनगढ़न्ध सूचना दे दी है जोकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का घोर उल्लंघन है।
- जनता के द्वारा दिए गए टैक्सों के पैसों का व्यक्ति द्वारा लोन लेकर या किसी अन्य माध्यम से वाणिज्यिक कार्य प्रारंभ करते हैं इसलिए वह सरकारी दस्तावेज है और जनता को उपलब्ध कराना लोक जन सूचना अधिकारी का कर्तव्य बनता है।

- (109) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 (2) :- जहाँ उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहाँ ऐसे पर व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। ( Where a notice is served by the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, under sub-section (1) to a third party in respect of any information or record or part thereof, the third party shall, within ten days from the date of receipt of such notice, be given the opportunity to make representation against the proposed disclosure.)

टिप्पणी :- यह पर व्यक्ति से संबंधित है ।

- (110) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 (3) :- धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी , यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् चालीस दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा । ( Notwithstanding anything contained in section 7, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall, within forty days after receipt of the request under section 6, if the third party has been given an opportunity to make representation under sub-section (2), make a decision as to whether or not to disclose the information or record or part thereof and give in writing the notice of his decision to the third party.)

टिप्पणी :- यह लोक जन सूचना अधिकारी और पर व्यक्ति के बीच का मामला है ।

- (111) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 (4) :- धारा 11(3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति , जिसे सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है । ( A notice given under sub-section (3) shall include a statement that the third party to whom the notice is given is entitled to prefer an appeal under section 19 against the decision.)

टिप्पणी :- आवेदक को लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देते हुए प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम और पूर्ण पता देगा ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(Section 12 of Right To Information Act )

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन“(Constitution of Central Information Commission)”

- (112) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(1) :- केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं । (The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the Central Information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act. )

टिप्पणी :- केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम एक निकाय का गठन करेगा और केन्द्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णित शक्तियों और कृत्यों का पालन करेगा।

- (113) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 (2) :- केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा (The Central Information Commission shall consist of) –

(क) मुख्य सूचना आयुक्त ( The Chief Information Commissioner); और and

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं। ( Such number of Central Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.)

**टिप्पणी :-** केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और 9 सूचना आयुक्त की नियुक्ति। (कुल मिलकर 10 सूचना आयुक्त होंगे)

(114) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(3) :- मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। ( The Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of)–

- i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;(The Prime Minister, who shall be the Chairperson of the committee);
- ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता; और (The Leader of Opposition in the Lok Sabha); and
- iii) प्रधानमंत्री द्वारा नाननिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री। (A Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister.)

**स्पष्टीकरण -** शंकाओं के निवारण के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहाँ लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहाँ लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा। Explanation.—For the purposes of removal of doubts, it is hereby declared that where the Leader of Opposition in the House of the People has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the House of the People shall be deemed to be the Leader of Opposition. )

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री (समिति का अध्यक्ष)+ लोक सभा में विपक्ष का नेता ( स्पष्टीकरण - लोक सभा में विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा) + प्रधानमंत्री द्वारा संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाे है।

(115) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(4) :- केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है। (The general superintendence, direction and management of the affairs of the Central Information Commission shall vest in the Chief Information Commissioner who shall be assisted by the Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the Central Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.)

**टिप्पणी :-**

- a) केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा वहाँ के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन होगा, और जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी।
- b) केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त अधिनियम के अधीन रहकर अपने सभी शक्तियों का प्रयोग, सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिसके लिए वह स्वतंत्र रूप से इस किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।

(116) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(5) :- मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। (The Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance.)

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति :- विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(117) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(6)** :- मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथा स्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। (The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession.)

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के लिए शर्तें :-

- संसद का सदस्य
- किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा।
- कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा।
- किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा।
- कोई कारोबार नहीं करेगा।
- कोई कार्य या व्यापार नहीं करेगा।

(118) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12(7)** :- केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा। (The headquarters of the Central Information Commission shall be at Delhi and the Central Information Commission may, with the previous approval of the Central Government, establish offices at other places in India.)

**टिप्पणी :-**

- केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा
- केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

## **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 13 (Section 13 of Right To Information Act 2005)**

### **"पदावधि और सेवा शर्तें ( Term of office and conditions of service )"**

(119) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 13(1)** :- मुख्य सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा : (The Chief Information Commissioner shall hold office for such term as may be prescribed by the Central Government] and shall not be eligible for reappointment: )  
परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा। (Provided that no Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.)

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा या पैंसठ वर्ष की आयु तक रहेगा, इनमें से जो भी पूर्वतर हो और फिर से नियुक्त नहीं होगा। ( 2019 में अधिनियम में बदलाव के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा या पैंसठ वर्ष की आयु तक रहेगा।

(120) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 13(2) :-** प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा (Every Information Commissioner shall hold office 1[for such term as may be prescribed by the Central Government] or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such Information Commissioner) :

**टिप्पणी :-** सूचना आयुक्त पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा या पैंसठ वर्ष की आयु तक रहेगा, इनमें से जो भी पूर्वतर हो और फिर से नियुक्त नहीं होगा। ( 2019 में अधिनियम में बदलाव के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा या पैंसठ वर्ष की आयु तक रहेगा।

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12(3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। (Provided that every Information Commissioner shall, on vacating his office under this sub-section be eligible for appointment as the Chief Information Commissioner in the manner specified in section 12(3))

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली होने पर सूचना आयुक्त धारा 12(3) के अनुसार सूचना आयुक्त द्वारा अपना पद छोड़ने की स्थिति में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

परन्तु यह और कि जहाँ सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहाँ उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। (Provided further that where the Information Commissioner is appointed as the Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the Information Commissioner and the Chief Information Commissioner.)

**टिप्पणी :-** सूचना आयुक्त सहित मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पाँच वर्ष का कार्यकाल होगा।

(121) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 13(3) :-** मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। (The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall before he enters upon his office make and subscribe before the President or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule.)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष नीचे दिये गए प्रा रूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उसपर हस्ताक्षर करेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

प्रथम अनुसूची [धारा 13(3) और 16(3) देखें]

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप

" मैं जो .....मुख्य सूचना आयुक्त /सूचना आयुक्त /राज्य मुख्य सूचना आयुक्त /राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ/ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा , मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता , ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्य का भय या पक्षपात , अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा ।"

Right To Information 2005

The First Schedule [See Section 13(3) and 16(3)]

Form of Oath or Affirmation to be made by the Chief Information Commissioner /The Information Commissioner/ The State Chief Information Commissioner/ The State Information Commissioner

"I,..... having been appointed Chief Information Commissioner / Information Commissioner/ State Chief Information Commissioner/ State Information Commissioner swear in the name of God (solemnly affirm) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established,that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgement perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold constitution and the laws."

(122) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 13(4) :- मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा : (The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the President, resign from his office:)

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर से अपना पद त्याग सकेगा ।

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा । ( Provided that the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner may be removed in the manner specified under section 14.)

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को धारा 14 के अनुसार हटाया जाएगा ।

(123) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 13(5) :- संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall be पेज :- 37

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

such as may be prescribed by the Central Government:)

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को मिलनेवाले वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें

(124) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 13(5)(क) :- मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं (Provided that the salaries, allowances and other conditions of service of the Chief Information Commissioner or the Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment:)

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को मिलनेवाले वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होंगे ।

(125) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 13(5)(ख) :- सूचना आयुक्त की वही होंगी , जो निर्वाचन आयुक्त की हैं : परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त , अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से , उस पेंशन की , जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग , जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर , सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा (Provided further that the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners appointed before the commencement of the Right to Information (Amendment) Act, 2019 shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made there under as if the Right to Information (Amendment) Act, 2019 had not come into force.) :

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से. सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी (Provided that the salaries, allowances and other conditions of service of the Chief Information Commissioner or the Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment:)

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतनभत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा (Provided further that the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners appointed before the commencement of the Right to Information (Amendment) Act, 2019 shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made thereunder as if the Right to Information (Amendment) Act, 2019 had not come into force.)]

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को पूर्व में मिलनेवाले वेतन, भत्ते पेंशन और अन्य सुविधा में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(126) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 13(6) :- केंद्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगीजितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के पेज :- 36

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं। (The Central Government shall provide the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to, and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed. Provided also that the salaries, allowances and other conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment.)

**टिप्पणी :-** इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को अधिकारी और कर्मचारी (अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों।) उपलब्ध कराएगी और नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें है।

### सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14 (Section 14 of Right To Information Act 2005)

#### “सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना”

#### “(Removal of Chief Information Commissioner or Information Commissioner)”-

(127) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14 (1) :-** धारा 14(3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जाँच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। (Subject to the provisions of sub-section (3), the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the President on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on a reference made to it by the President, has, on inquiry, reported that the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner, as the case may be, ought on such ground be removed.)

**टिप्पणी :-** धारा 14(3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति को दिये गए शिकायत पर जब उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए किसी निर्देश पर जाँच के पश्चात् के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाया जाएगा।

(128) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14 (2) :-** राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध धारा 14(1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जाँच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा। (The President may suspend from office, and if deem necessary prohibit also from attending the office during inquiry, the Chief Information Commissioner or Information Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under section 14(1) until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.)

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध धारा 14(1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जाँच के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिबंध लगा सकेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- (129) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14 (3) :- धारा 14(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त (The President may suspend from office, and if deem necessary prohibit also from attending the office during inquiry, the Chief Information Commissioner or Information Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under sub-section (1) until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference)–
- (130) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14(3)(क) :- दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है ( is adjudged an insolvent); or
- (131) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14(3)(ख) :- वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है। (has been convicted of an offence which, in the opinion of the President, involves moral turpitude); या
- (132) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14(3)(ग) :- अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है। (engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office); or;
- (133) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14(3)(घ) :- राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है। (is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body); or
- (134) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14(3)(ङ) :- उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ( has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner).

टिप्पणी :- राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा - दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है; राष्ट्रपति के अनुसार कोई अपराध अथवा कानून के विरुद्ध कोई कार्य अथवा सार्वजनिक नीति के विपरीत कोई कृत्य में शामिल; अपने पद पर रहते हुये अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वेतन संबंधी नियोजन में लगा हुआ है; राष्ट्रपति के अनुसार मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने ; के अयोग्य है; वित्तीय और अन्य हित अर्जित करने के कारण कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

- (135) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14 (4) :- यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोदभूत ( उपार्जित) होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह , उपधारा 14(1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा। ( If the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner in any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of section 14(1), be deemed to be guilty of misbehaviour.)

टिप्पणी :- मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त , किसी प्रकार का लाभ या धन उपार्जित होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह धारा 14(1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 (Section 15 of Right To Information Act 2005)

"राज्य सूचना आयोग का गठन (Constitution of State Information Commission)"-

(136) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 (1) :- प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा..... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से जात एक निकाय का गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं। (Every State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the .....(name of the State) Information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act. )

**टिप्पणी** :- संबंधित राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संबंधित राज्य सूचना आयोग के नाम एक निकाय का गठन करेगा और संबंधित राज्य सूचना आयोग ससद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णित शक्तियों और कृत्यों का पालन करेगा।

(137) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 (2) :- राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा (The State Information Commission shall consist of ) –

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (the State Chief Information Commissioner), and ; और

(ख) दस से अधिक नहीं उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं। ( such number of State Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary)

**टिप्पणी** :- संबंधित राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और 9 सूचना आयुक्त की नियुक्ति। (कुल मिलकर 10 सूचना आयुक्त होंगे)

(138) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 (3) :- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी (The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be appointed by the Governor on the recommendation of a committee consisting of)–

i. मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा; (the Chief Minister, who shall be the Chairperson of the committee);

ii. विधान सभा में विपक्ष का नेता; और (the Leader of Opposition in the Legislative Assembly; and)

iii. मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य। (a Cabinet Minister to be nominated by the Chief Minister).

**स्पष्टीकरण (Explanation).**— शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा। (For the purposes of removal of doubts, it is hereby declared that where the Leader of Opposition in the Legislative Assembly has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the Legislative Assembly shall be deemed to be the Leader of Opposition.)

**टिप्पणी** :- मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री (समिति का अध्यक्ष) + विधान सभा में विपक्ष का नेता ( स्पष्टीकरण - लोक सभा में विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा।) + मुख्यमंत्री द्वारा संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाती है।

- (139) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 (4) :- राज्य सूचना आयोग के कार्यो का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती हैं या की जा सकती हैं। (The general superintendence, direction and management of the affairs of the State Information Commission shall vest in the State Chief Information Commissioner who shall be assisted by the State Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the State Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.)

**टिप्पणी :-**

- संबंधित राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा वहाँ के कार्यो का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन होगा, और जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी।
- संबंधित राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त अधिनियम के अधीन रहकर अपने सभी शक्तियों का प्रयोग; सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिसके लिए वह स्वतंत्र रूप से इस किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।

- (140) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 (5) :- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। (The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance.)

**टिप्पणी :-** संबंधित राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति :- विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

- (141) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 (6) :- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। (The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession. )

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के लिए शर्तें :-

- संसद का सदस्य
- किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा।
- कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा।
- किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा।
- कोई कारबार नहीं करेगा।
- कोई कार्य या व्यापार नहीं करेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(142) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (7) :- राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा। (The headquarters of the State Information Commission shall be at such place in the State as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify and the State Information Commission may, with the previous approval of the State Government, establish offices at other places in the State).

टिप्पणी :-

- राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय संबंधित राजधानी ..... में होगा।
- राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16 (Section 16 of Right To Information Act 2005)

"पदावधि और सेवा की शर्तें" "(Term of office and conditions of service)"-

(143) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16(1) :- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा : ( The State Chief Information Commissioner shall hold office 1[for such term as may be prescribed by the Central Government] and shall not be eligible for reappointment)

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा। (Provided that no State Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.)

टिप्पणी :- मुख्य सूचना आयुक्त पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा या पैंसठ वर्ष की आयु तक रहेगा, इनमें से जो भी पूर्वतर हो और फिर से नियुक्त नहीं होगा। ( 2019 में अधिनियम में बदलाव के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा या पैंसठ वर्ष की आयु तक रहेगा।

(144) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16(2) :- प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा : (Every State Information Commissioner shall hold office 1[for such term as may be prescribed by the Central Government] or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such State Information Commissioner.)

टिप्पणी :- सूचना आयुक्त पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा या पैंसठ वर्ष की आयु तक रहेगा, इनमें से जो भी पूर्वतर हो और फिर से नियुक्त नहीं होगा। ( 2019 में अधिनियम में बदलाव के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा या पैंसठ वर्ष की आयु तक रहेगा।

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 15 (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा : (Provided that every State Information Commissioner shall, on vacating his office under this sub- section, be eligible for appointment as the State Chief Information Commissioner in the manner specified in section 15(3)):

**टिप्पणी :-** सूचना आयुक्त पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा या पैंसठ वर्ष की आयु तक रहेगा, इनमें से जो भी पूर्वतर हो और फिर से नियुक्त नहीं होगा। ( 2019 में अधिनियम में बदलाव के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा या पैंसठ वर्ष की आयु तक रहेगा।

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। (Provided further that where the State Information Commissioner is appointed as the State Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the State Information Commissioner and the State Chief Information Commissioner.)

**टिप्पणी :-** सूचना आयुक्त सहित मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पाँच वर्ष का कार्यकाल होगा।

(145) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16(3) :-** राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। (The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, shall before he enters upon his office make and subscribe before the Governor or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule).

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष नीचे दिये गए प्रा रूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उसपर हस्ताक्षर करेगा।

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रथम अनुसूची

### [धारा 13(3) और 16(3) देखें]

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप

"मैं जो .....मुख्य सूचना आयुक्त /सूचना आयुक्त /राज्य मुख्य सूचना आयुक्त /राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ/ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा , मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता , ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्य का भय या पक्षपात , अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा।"

### Right To Information 2005 The First Schedule

#### [See Section 13(3) and 16(3)]

Form of Oath or Affirmation to be made by the Chief Information Commissioner /The Information Commissioner/ The State Chief Information Commissioner/ The State Information Commissioner

"I,..... having been appointed Chief Information Commissioner / Information Commissioner/ State Chief Information Commissioner/ State Information

Commissioner swear in the name of God (solemnly affirm) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgement perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold constitution and the laws."

- (146) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(4) :- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा : (The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from his office):

**टिप्पणी** :- मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर से अपना पद त्याग सकेगा।

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा। (Provided that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may be removed in the manner specified under section 17).

**टिप्पणी** :- मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को धारा 17 के अनुसार हटाया जाएगा।

- (147) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 1 6(5) :- संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be such as may be prescribed by the Central Government

**टिप्पणी** :- मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को मिलनेवाले वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं;

**टिप्पणी** :- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को मिलनेवाले वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होगा।

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैं :

**टिप्पणी** :- राज्य सूचना आयुक्त को मिलनेवाले वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होगा।

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है , कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन , भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को पूर्व में मिलनेवाले वेतन, भत्ते पेंशन और अन्य सुविधा में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

Provided that the salaries, allowances and other conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment:

Provided further that the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners appointed before the commencement of the Right to Information (Amendment) Act, 2019 shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made there under as if the Right to Information (Amendment) Act, 2019 had not come into force.

- (148) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (6) :-** राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी , जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी , जो विहित की जाएं। (The State Government shall provide the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.)

**टिप्पणी :-** इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को अधिकारी और कर्मचारी (अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों।) उपलब्ध कराएगी और नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें है ।

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 17 (Section 17 of Right To Information Act 2005)

### "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना

### (Removal of State Chief Information Commissioner or State Information Commissioner)"-

- (149) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 17(1) :-** धारा 17(3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा , जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि , यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए । ( Subject to the provisions of sub-section (3), the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the Governor on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on a reference made to it by the Governor, has on inquiry, reported that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, as the case may be, ought on such ground be removed.)

**टिप्पणी :-** धारा 17(3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए , राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राज्यपाल को दिये गए शिकायत पर जब उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए किसी निर्देश पर जाँच के पश्चात् के

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाया जाएगा ।

- (150) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 17(2) :- राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को , जिसके विरुद्ध उपधारा 17(1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा। (The Governor may suspend from office, and if deem necessary prohibit also from attending the office during inquiry, the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under section 17(1) until the Governor has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference. )

**टिप्पणी :-** मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध धारा 17(1) के अधीन राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जाँच के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को कार्यालय में उपस्थित होने से भी पर प्रतिबंध लगा सकेगा।

- (151) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 17(3) :- धारा 17(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त ( Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Governor may by order remove from office the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner if a State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, as the case may be),—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या ( is adjudged an insolvent); or

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतवलिप्त है; या(has been convicted of an offence which, in the opinion of the Governor, involves moral turpitude); or

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है: या ( engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office); or

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या । ( is, in the opinion of the Governor, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body); or

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं , जिनसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ( has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner.)

**टिप्पणी :-** राज्यपाल, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा -

दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है; राज्यपाल के अनुसार कोई अपराध अथवा कानून के विरुद्ध कोई कार्य अथवा सार्वजनिक नीति के विपरीत कोई कृत्य में शामिल; अपने पद पर रहते हुये अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वेतन संबंधी नियोजन में लगा हुआ है; राज्यपाल के अनुसार मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने ; के अयोग्य है; वित्तीय और अन्य हित अर्जित करने के कारण कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

(152) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 17(4) :- (4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा। ( If the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner in any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of the State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emoluments arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (1), be deemed to be guilty of misbehaviour.)

टिप्पणी :- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, का किसी प्रकार का लाभ या धन उपार्जित होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह धारा 14( 1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार दोषी समझा जाएगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 (Section 18 of Right To Information Act 2005)

“सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य (Powers and functions of Information Commissions)”

(153) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1) - इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करे, (Subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, to receive and inquire into a complaint from any person),-

टिप्पणी :- केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य है आरटीआई के तहत निम्नलिखित के दौरान शिकायत आने पर उसकी जाँच करना।

(154) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1)(क) - जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है (Who has been unable to submit a request to a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, either by reason that no such officer has been appointed under this Act, or because the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, has refused to accept his or her application for information or appeal under this Act for forwarding the same to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer or senior officer specified in section 19(1) or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be;)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

**टिप्पणी :-** अगर कोई विभाग केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की इस अधिनियम के अधीन अधिकारी की नियुक्ति यहाँ नहीं हुआ है कहते हुये आरटीआई आवेदन लेने से इंकार कर देने पर आरटीआई की धारा 19(1) के तहत ज्येष्ठ अधिकारी को भेजा जा सकता है या केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है कि शिकायत की जा सकती है ।

- (155) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1)(ख) - जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुँच के लिए इंकार कर दिया गया है ; (Who has been refused access to any information requested under this Act);

**टिप्पणी :-** आवेदन के अनुसार जानकारी देने से इंकार कर देने की स्थिति में शिकायत की जा सकती है ।

- (156) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1)(ग) - जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुँच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है; (Who has not been given a response to a request for information or access to information within the time limit specified under this Act);

**टिप्पणी :-** समय-सीमा के भीतर सूचना नहीं देने की स्थिति में शिकायत की जा सकती है ।

- (157) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1)(घ) - जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है या समझती है; (Who has been required to pay an amount of fee which he or she considers unreasonable);

**टिप्पणी :-** दस्तावेज़ की संगणना से ज्यादा फीस की रकम के लिए सूचना देने की स्थिति में शिकायत की जा सकती है ।

- (158) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1)(ङ) - जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है; और (Who believes that he or she has been given incomplete, misleading or false information under this Act); and

**टिप्पणी :-** केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना देने की स्थिति में ।

- (159) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(1)(च) - इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में । (In respect of any other matter relating to requesting or obtaining access to records under this Act).

**टिप्पणी :-** केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन में वर्णित तथ्यों से हटकर किसी अन्य विषय के संबंध में सूचना देने की स्थिति में शिकायत की जा सकती है ।

- (160) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(2) - जहाँ, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जाँच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं, वहाँ वह उसके संबंध में जाँच आरंभ कर सकेगा । (Where the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into the matter, it may initiate an inquiry in respect thereof.)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

टिप्पणी :- केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को किए गए शिकायत पर उचित आधार होते हुये जाँच करेगा ।

- (161) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(3) - यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को. इस धारा के अधीन किसी मामले में जाँच करते समय वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् ( The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely) :-

टिप्पणी :- केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस धारा के अधीन किसी मामले में जाँच करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित हैं :-

- (162) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(3)(क) - किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना ;(Summoning and enforcing the attendance of persons and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce the documents or things);

टिप्पणी :-

- (a) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा
- (b) शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और
- (c) दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना

- (163) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(3)(ख) - दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना ; (Requiring the discovery and inspection of documents);

टिप्पणी :-

- (a) दस्तावेजों के प्रकटीकरण
- (b) दस्तावेजों के निरीक्षण की अपेक्षा करना

- (164) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(3)(ग) - शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना ; (Receiving evidence on affidavit);

टिप्पणी :- शपथपत्र पर साक्ष्य को प्राप्त करना ।

- (165) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(3)(घ) - किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ माँगना ; (Requisitioning any public record or copies thereof from any court or office;

टिप्पणी :- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ माँगना ।

- (166) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(3)(ङ) - साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना (Issuing summons for examination of witnesses or documents); and

**टिप्पणी :-** साक्षियों या दस्तावेजों की देख-रेख/छानबीन के लिए समन जारी करना

(167) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(3)(च) - कोई अन्य विषय , जो विहित किया जाए। (Any other matter which may be prescribed).

**टिप्पणी :-** कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(168) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(4) - यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जाँच करने के दौरान , ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा , जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा। ( Notwithstanding anything inconsistent contained in any other Act of Parliament or State Legislature, as the case may be, the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, may, during the inquiry of any complaint under this Act, examine any record to which this Act applies which is under the control of the public authority, and no such record may be withheld from it on any grounds.)

**टिप्पणी :-** यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जाँच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 ( Section 19 Of Right To Information Act 2005 )

### “अपील (Appeal)”-

(169) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) :- ऐसा कोई व्यक्ति , जिसे धारा 7(1) या 7(3)(क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है , उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है। (Any person who, does not receive a decision within the time specified in Section 7(1) or 7(3)(a) or is aggrieved by a decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may within thirty days from the expiry of such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be, in each public authority:)

परन्तु ऐसा अधिकारी , तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त

कारण से निवारित किया गया था। ( Provided that such officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he or she is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time. )

**टिप्पणी :-** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन देने पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) या 7(3)(क) के अनुसार ससमय (30 दिनों में) सूचना नहीं देने या सूचना से दुखित/पीड़ित/क्लेशित/वेदनाग्रस्त करने पर लोक जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी अर्थात् प्रथम अपीलीय पदाधिकारी/प्राधिकारी/प्राधिकार को 30 दिन के बाद प्रथम अपील कर सकते हैं।

**विशेष परिस्थिति में :-** केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं देने पर सचिव, कार्मिक, पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय; कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग; नई दिल्ली को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी / प्राधिकारी / प्राधिकार और राज्य जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं देने पर मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) संबंधित राज्य को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी/प्राधिकारी/प्राधिकार बनाएँ।

(170) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(2) :-** जहाँ अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी। ( Where an appeal is preferred against an order made by a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, under Section 11 to disclose third party information, the appeal by the concerned third party shall be made within thirty days from the date of the order.)

**टिप्पणी -** केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के अधीन "पर व्यक्ति" से संबंधित सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील की जाती है तो संबंधित "पर व्यक्ति" द्वारा अपील उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर अपील की जाएगी।

(171) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (3) :-** धारा 19(1) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी ) : A second appeal against the decision under Section 19(1) shall lie within ninety days from the date on which the decision should have been made or was actually received, with the Central Information Commission or the State Information Commission:)

**टिप्पणी -** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील करने पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी/प्राधिकारी/प्राधिकार द्वारा दिए गए निर्णय की प्रति डाक द्वारा जिस दिन प्राप्त होता है उस दिन से लेकर 90 दिनों तक आप केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील कर सकते हैं।

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था। ( Provided that the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, may admit the appeal after the expiry of the period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.)

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

**टिप्पणी** - अगर आप केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग 90 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील ग्रहण कर सकता है यदि अपीलार्थी द्वारा अपील करने में देरी का समुचित कारण बताने पर अपील स्वीकार की जाएगी ।

- (172) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(4) :-** यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा । (If the decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, against which an appeal is preferred relates to information of a third party, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give a reasonable opportunity of being heard to that third party.)

**टिप्पणी** - केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा "पर व्यक्ति" से संबंधित लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील करने पर "पर व्यक्ति" को सुनवाई का उचित अवसर देगा ।

- (173) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(5) :-** अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा। ( In any appeal proceedings, the onus to prove that a denial of a request was justified shall be on the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, who denied the request. )

**टिप्पणी** - केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन इंकार करने या अस्वीकार करने का समुचित कारण अपील में बताना होगा यह साबित करना लोक जन सूचना अधिकारी का भार होगा।

- (174) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(6) :-** धारा 19(1) या धारा 19(2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा । (An appeal under Section 19(1) or Section 19(2) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of forty-five days from the date of filing thereof, as the case may be, for reasons to be recorded in writing.)

**टिप्पणी** - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) या धारा 19(2) के अधीन आवेदक द्वारा प्रथम अपील करने पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी/ प्राधिकारी/प्राधिकार द्वारा प्रथम अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या अधिकतम पैंतालीस दिनों में निपटारा करना है।

- (175) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(7) :-** यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा । ( The decision of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall be binding. )

**टिप्पणी** - केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय बंधनकारक होता है । इसका अर्थ है कि लोक जन सूचना अधिकारी; केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के द्वारा दिए गए निर्णय को मानने के लिए बाध्य है।

- (176) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8) :- अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है। (In its decision, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, has the power to) :-
- (177) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क) :- लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। (Require the public authority to take any such steps as may be necessary to secure compliance with the provisions of this Act, including) :----
- (178) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क)(i) :- सूचना तक पहुँच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है; (By providing access to information, if so requested, in a particular form);
- टिप्पणी - आवेदक द्वारा जिस प्रारूप में अनुरोध किया गया है केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा उस प्रारूप में उपलब्ध कराना।
- (179) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क)(ii) :- यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना; (By appointing a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be);
- टिप्पणी - केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना है।
- (180) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क)(iii) :- कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना; (By publishing certain information or categories of information; )
- टिप्पणी - केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना या सूचना के किसी वर्ग या श्रेणी का छोटा विभाग या श्रेणी को प्रकाशित करना।
- (181) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क)(iv) :- अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना; (By making necessary changes to its practices in relation to the maintenance, management and destruction of records);
- टिप्पणी - केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण (किसी चीज़ या काम की देख-रेख करते हुए उसे बनाए रखने और अच्छी तरह चलाए रखने की क्रिया या भाव जिससे वस्तुएँ ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहे), प्रबंध और विनाश (नष्ट करना) से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना
- (182) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क)(v) :- अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना; (By enhancing the provision of training on the right to information for its officials);
- टिप्पणी - केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना है अर्थात् प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना है और प्रशिक्षण देना है।

(183) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क)(vi) :- धारा 4(1)(ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना ; {By providing it with an annual report in compliance with section 4(1)(b)}

टिप्पणी - केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा धारा 4(1)(ख) के अनुसरण (पीछे चलना या के अनुसार) में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना है ।

(184) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(ख) :- लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना ; ( Require the public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered;)

टिप्पणी - केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को हुई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति लोक प्राधिकारी से प्रदान करवाना है ।

(185) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(ग) :- इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना, (Impose any of the penalties provided under this Act);

टिप्पणी - केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा उपबंध के अधीन रहकर शास्ति लगाना (अपनी मनमर्जी नहीं करना) है ।

(186) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(घ) :- आवेदन को नामंजूर करना । (Reject the application.)

टिप्पणी - केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा सही कारण देते हुए आवेदन को नामंजूर करना है।

(187) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(9) :- यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा । (The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give notice of its decision, including any right of appeal, to the complainant and the public authority.)

टिप्पणी - केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने निर्णय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार है, इसकी सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को देगा ।

(188) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(10) :- यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए।(The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall decide the appeal in accordance with such procedure as may be prescribed.)

टिप्पणी :- केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में अपील का निर्णय उचित, मुनासिब या विधि के अनुरूप हो (जैसे—कर्म विहित फल) के अनुसार हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (Section 20 of Right To Information Act 2005)

“ शास्ति (Penalties) ”-

(189) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) :- जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि , यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7(1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है था जानबूझकर गलत , अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है , जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है , तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए. जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपए की शास्ति अधिरोपित करेगा , तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी । (Where the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has, without any reasonable cause, refused to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under section 7(1) or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till application is received or information is furnished, so however, the total amount of such penalty shall not exceed twenty-five thousand rupees:)

परंतु, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व , सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।(Provided that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him:)

परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त ( उचित) रूप से और तत्परतापूर्वक (परिश्रमपूर्वक) कार्य किया है, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा ।( Provided further that the burden of proving that he acted reasonably and diligently shall be on the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be.)

**टिप्पणी :-** केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायत या अपील का निर्णय करते समय केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने

- किसी उचित कारण के बिना सूचना के लिए,
- कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है
- धारा 7(1) के अधीन किसी बात या विषय को निधारित समय में प्रस्तुत करना समय के भीतर सूचना नहीं दी है
- असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है /था
- जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है ।
- उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिस दिन से आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है ।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

250/- (दो सौ पचास ) रुपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार (25,000/-) रुपए से अधिक नहीं होगी । {सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(ग) के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा उपबंध के अधीन रहकर शास्ति लगाना (अपनी मनमर्जी नहीं करना) है ।}

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को , उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व , सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा और तथा यह साबित करने का भार होगा कि युक्तियुक्त (उचित) रूप से और तत्परतापूर्वक (परिश्रमपूर्वक) सूचना और दस्तावेज देने का कार्य किया है ।

**(190) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) :-** जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि , यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी , किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7(1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह , यथास्थिति, ऐसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा । (Where the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has, without any reasonable cause and persistently, failed to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under section 7(1) or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall recommend for disciplinary action against the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, under the service rules applicable to him.)

**टिप्पणी :-** केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायत या अपील का निर्णय करते समय

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी

- किसी युक्तियुक्त (उचित) कारण के बिना
- लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या
- उसने धारा 7(1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है
- असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है
- जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है
- ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी
- किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है ।

वहाँ वह, यथास्थिति, ऐसे केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग क्रमशः केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उस के लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा ।

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 (Section 21 of Right To Information Act 2005)

### "सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण (Protection of action taken in good faith)"

**(191) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 21 -** कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी

भी ऐसी बात के बारे में , जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है , किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी । ( No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.)

**टिप्पणी :-** लोक जन सूचना अधिकारी , प्रथम अपीलीय अधिकारी और सूचना आयुक्त सूचना देने या दिलाने में सद्भावना पूर्ण कार्य करना होगा अन्यथा सूचना देने या दिलाने में असफल रहने पर असद्भावना पूर्ण कार्य समझा जाएगा और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के समकक्ष आईपीसी 1860 की धारा 52 के विरुद्ध कार्रवाई होगी । आवेदक पर कोई कार्यवाही नहीं होगी ।

### के समकक्ष

**भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 52 :-** कोई व्यक्ति "सद्भावपूर्वक; की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो ।

### प्रथम अपील तक का स्तर और असद्भावना से की गई कार्यवाहियाँ और दंड विधान

#### प्रथम अपील के स्तर तक

- (1) जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं देना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(2) का उल्लंघन करना ।
- (2) जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(2) का उल्लंघन करना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के समकक्ष आईपीसी की धारा 52 के तहत सद्भावना पूर्ण कार्य नहीं करने के लिए आईपीसी की धारा 166 , 166(ए), 167, 186 के तहत अपराध है।
- (3) जन सूचना अधिकारी द्वारा झूठी जानकारी देना जिसका प्रमाण आवेदक के पास मौजूद है आईपीसी की धारा 166, 166(ए), 167, 420, 468 और 471 के तहत अपराध है।
- (4) प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं किया जाना और लोक जन सूचना अधिकारी का पक्ष लेना आईपीसी की धारा 166, 166(ए), 167, 188, 217 के तहत अपराध है ।
- (5) प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा सुनवाई करने के समय लोक जन सूचना अधिकारी अनुपस्थित रहना तथा सही सूचना नहीं देना या आदेश देने के बाद लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा सही सूचना नहीं देना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के समकक्ष आईपीसी की धारा 52 के तहत सद्भावना पूर्ण कार्य नहीं करने के लिए आईपीसी की धारा 166 , 166(ए), 167, 175, 176, 188 और 420 के तहत अपराध है ।
- (6) प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय करने के बाद भी सूचना नहीं देना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के समकक्ष आईपीसी की धारा 52 के तहत सद्भावना पूर्ण कार्य नहीं करने के लिए आईपीसी की धारा 166, 166(ए), 167, 175, 176, 188 और 420 के तहत अपराध है।
- (7) आवेदक को धमकाना आईपीसी की धारा 166, 166(ए), 167 और 506 के तहत अपराध है ।

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- (8) शुल्क लेकर लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं देना आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध है ।
- (9) लिखित में ऐसे कथन करना है जिसका झूठ हो ना लोक जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी को ज्ञात हो और इससे आवेदक को संदोष हानि हो आईपीसी की धारा 34 , 120(बी), 166, 166 (ए), 167, 193 219, 417, 418, 419, 420, 465, 467, 468 और 471 के तहत अपराध है।

### द्वितीय अपील तक का स्तर और असद्भावना से की गई कार्यवाहियाँ और दंड विधान

- 1) लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी का नोटिस मिलने पर भी निर्धारित निर्देशों के अनुसार और तय समय सीमा में आयोग /अपीलार्थी का अपील का प्रति उत्तर नहीं देना इसके बावजूद भी आयोग में पदस्थापित सूचना आयुक्त द्वारा लोक जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी को बचाना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के समकक्ष आईपीसी की धारा 52 के विरुद्ध असद्भावना पूर्ण कार्य करने के लिए आईपीसी की धारा 166 , 166(ए), 167, 188, 217, 219 और 420 के तहत अपराध है ।
- 2) लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी का अपील में नोटिस मिलने पर भी सुनवाई में बिना कोई सूचना के अनुपस्थित रहना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के समकक्ष आईपीसी की धारा 52 के विरुद्ध असद्भावना पूर्ण कार्य करने के लिए आईपीसी की धारा 166 , 167, 175, 176, 188 & 420 के तहत अपराध है ।
- 3) लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी का प्रति उत्तर अधूरा/ झूठा /तथ्यों के विपरीत होना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के समकक्ष आईपीसी की धारा 52 के विरुद्ध असद्भावना पूर्ण कार्य करने के लिए आईपीसी की धारा 166 , 166(ए), 167, 193, 219, 417, 418, 419, 420, 465, 467, 468 और 471 के तहत अपराध है ।
- 4) लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के नोटिस मिलने पर भी सुनवाई में कोई सूचना के गैरहाजिर रहना या अनुपस्थित होना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के समकक्ष आईपीसी की धारा 52 के विरुद्ध असद्भावना पूर्ण कार्य करने के लिए आईपीसी की धारा 166 , 166(ए), 167, 175, 176, 188, 219, 409, 417, 418, 419, 420, 465, 467, 468 और 471 सह पठित धारा 12 के तहत अपराध है ।

**नोट :-** लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा समय सूचना नहीं देने/ गलत सूचना देने या अन्य के लिए ; प्रथम अपीलीय पदाधिकारी/प्राधिकारी/प्राधिकार द्वारा लोक जन सूचना अधिकारी का पक्ष लेकर गलत निर्णय करने के साथ-साथ आवेदक को गलत सूचना देने के लिए और सूचना को दबाने के लिए और मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त द्वारा लोक जन सूचना अधिकारी का पक्ष लेकर गलत निर्णय करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 21 के विरुद्ध असद्भावनापूर्ण कार्य समझा जाएगा और सभी बराबर के दोषी होंगे ।

### सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 22 (Section 22 of Right To Information Act 2005)

#### “अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना (Act to have over riding effect)”-

- (192) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 22 :- इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात

अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में, उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे। (The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923), and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.)

यह नियम वहाँ लागू होगा जहाँ पर किसी के जान का खतरा हो और यह नियम कहीं और लागू नहीं हो सकता क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 22 के तहत सभी गौण हो जाते हैं और गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध कराना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवश्यक है।

**प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सद्भावपूर्वक कर्तव्यों का पालन करते हुए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को सूचना संप्रेषित करेगा:**

बशर्ते कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार या उसे सौंपे गए कर्तव्यों के सद्भाव में प्रदर्शन के अलावा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या उसके किसी भी हिस्से को वर्गीकृत जानकारी के किसी भी हिस्से को संप्रेषित नहीं करेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति जिसे वह ऐसे दस्तावेजों या वर्गीकृत जानकारी को संप्रेषित करने के लिए अधिकृत नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर निम्न का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गोपनीयता अधिनियम को समाप्त करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्न अधिनियम/ नियम लागू नहीं होगा (Indian constitution has no direct provision conferring right to information to the citizens. In India reserve is the case. Various laws are rules restrict the disclosure of official information to the people and thus he was secrecy in administrations):

- (a) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 {Official Secrets Act 1923}
- (b) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 {Indian Evidence Act 1872}
- (c) जाँच आयोग अधिनियम, 1954 {Commission of Enquiry Act 1952}
- (d) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1955 {All India Services (Conduct) Rules 1955}
- (e) केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1955 {Central Civil Services (Conduct) Rules 1955}
- (f) रेलवे सेवा (आचरण) नियम, 1956 {Railway Service (Conduct) Rule, 1956}

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 23 (Section 23 of Right To Information Act 2005)**

**“न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन (Bar of jurisdiction of courts)”**

- (193) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 23 :-** कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाय किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। (No court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this Act. )

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

**टिप्पणी :-** कोई न्यायालय (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय) , सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद , आवेदन या अन्य कार्यवाही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को , इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाय किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 (Section 24 of Right To Information Act 2005)

“अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना (Act not to apply in certain organisations)”-

**(194) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(1) :-** इस अधिनियम में अंतर्दिष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी (Nothing contained in this Act shall apply to the intelligence and security organisations specified in the Second Schedule, being organisations established by the Central Government or any information furnished by such organisations to that Government):

“द्वितीय अनुसूची ( The Second Schedule )”

केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

(Intelligence and Security Organisation Established by the Central Government)

- (1) आसूचना ब्यूरो (Intelligence Bureau)
- (2) मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खंड ( Research and Analysis Wing of the Cabinet Secretariat )
- (3) राजस्व आसूचना निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence)
- (4) केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (Central Economic Intelligence Bureau)
- (5) प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement)
- (6) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (Narcotics Control Bureau)
- (7) वैमानिक अनुसंधान केंद्र (Aviation Research Centre)
- (8) विशेष सीमान्त बल (Special Frontier Force)
- (9) सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force)
- (10) केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (Central Reserve Police Force)
- (11) भारत तिब्बत सीमा बल (Indo-Tibetan Border Police)
- (12) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force)
- (13) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guards)
- (14) असम राइफल्स (Assam Rifles)
- (15) सशस्त्र सीमा बल (Sashtra Seema Bal)
- (16) आयकर महानिदेशालय (अन्वेषण) (Directorate General of Income-tax (Investigation) )
- (17) राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (National Technical Research Organisation)
- (18) वित्तीय आसूचना (यूनिट); भारत (Financial Intelligence Unit, India)
- (19) विशेष संरक्षा गुप (Special Protection Group)
- (20) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation)
- (21) सीमा सड़क विकास बोर्ड (Border Road Development Board)
- (22) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat)

**टिप्पणी :-** केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित उपरोक्त आसूचना और सुरक्षा संगठनों द्वारा सरकार को दी गई कोई सूचना पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं होगी ।

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी । (Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section):

**टिप्पणी :-** केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित उपरोक्त आसूचना और सुरक्षा संगठनों द्वारा भ्रष्टाचार करने और मानव अधिकारों के अतिक्रमण या का हनन करने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होगा ।

परन्तु यह और कि यदि माँगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना, केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी । ( Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human

पेज :- 13

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अभिषेक कुमार & पुरषोत्तम प्रसाद

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

rights, the information shall only be provided after the approval of the Central Information Commission, and notwithstanding anything contained in section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request. )

**टिप्पणी :-** केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित उपरोक्त आसूचना और सुरक्षा संगठनों द्वारा भ्रष्टाचार करने और मानव अधिकारों के अतिक्रमण या का हनन करने पर केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के अनुमोदन के पश्चात् देगा और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना आवेदन के प्राप्ति के पैंतालीस दिन (45 दिन) के भीतर दी जाएगी ।

(195) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(2) :- केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके , संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में , यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा। ( The Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule by including therein any other intelligence or security organisation established by that Government or omitting therefrom any organisation already specified therein and on the publication of such notification, such organisation shall be deemed to be included in or, as the case may be, omitted from the Schedule.)

**टिप्पणी :-** केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को इसमें सम्मिलित कर सकती है या उसमें सम्मिलित किसी संगठन का लोप करके संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में सम्मिलित किया गया या समाप्त किया गया समझा जाएगा।

पेज :- 12

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(196) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(3) :- धारा 24(2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। ( Every notification issued under section 24 (2) shall be laid before each House of Parliament.)

टिप्पणी :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(197) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(4) :- इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी , जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं , जिन्हें वह सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , विनिर्दिष्ट करे (Nothing contained in this Act shall apply to such intelligence and security organisation being organisations established by the State Government, as that Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, specify):

टिप्पणी :- राज्य सरकार द्वारा स्थापित उपरोक्त आसूचना और सुरक्षा संगठनों द्वारा सरकार को दी गई कोई सूचना पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं होगी ।

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी ( Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section) :

टिप्पणी :- राज्य सरकार द्वारा स्थापित उपरोक्त आसूचना और सुरक्षा संगठनों द्वारा भ्रष्टाचार करने और मानव अधिकारों के अतिक्रमण या का हनन करने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होगा ।

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी। ( Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the State Information Commission and, notwithstanding anything contained in section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request.)

टिप्पणी :- राज्य सरकार द्वारा स्थापित उपरोक्त आसूचना और सुरक्षा संगठनों द्वारा भ्रष्टाचार करने और मानव अधिकारों के अतिक्रमण या का हनन करने पर राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् देगा और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना आवेदन के प्राप्ति के पैंतालीस दिन (45 दिन) के भीतर दी जाएगी ।

(198) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(5) :- धारा 24(4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी। ( Every notification issued under section 24(4) shall be laid before the State Legislature.)

टिप्पणी :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 (Section 25 of Right To Information Act 2005)

“मानीटर करना और रिपोर्ट करना (Monitoring and Reporting)”-

(199) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(1) :- यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात, यथासाध्य शीघ्रता से उस वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा। ( The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall, as soon as practicable after the end of each year, prepare a report on the implementation of the provisions of this Act during that year and forward a copy thereof to the appropriate Government.)

टिप्पणी :- केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात यथाशीघ्र उस वर्ष का एक रिपोर्ट तैयार कर और उसकी एक प्रति सरकार को भेजेगा।

(200) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(2) :- प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा। ( Each Ministry or Department shall, in relation to the public authorities within their jurisdiction, collect and provide such information to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, as is required to prepare the report under this section and comply with the requirements concerning the furnishing of that information and keeping of records for the purposes of this section.)

टिप्पणी :- प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अपने लोक प्राधिकारियों (लोक जन सूचना अधिकारियों / सहायक लोक जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी /प्राधिकार /पदाधिकारी) के संबंध में सूचना एकत्रित कर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(201) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(3) :- प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में, जिससे रिपोर्ट संबंधित है, निम्नलिखित के बारे में कथन होगा ( Each report shall state in respect of the year to which the report relates),-

टिप्पणी :- केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग प्रत्येक रिपोर्ट में उस वर्ष से संबंधित निम्नलिखित के बारे में कहना होगा :-

(202) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(3)(क) :- प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या (The number of requests made to each public authority);

टिप्पणी :- आवेदक द्वारा प्रत्येक लोक प्राधिकारी ( लोक जन सूचना अधिकारी / सहायक लोक जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी /प्राधिकार /पदाधिकारी ) से किए गए अनुरोधों की संख्या।

(203) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(3)(ख) :- ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समर्थों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था (The number of decisions where applicants were not entitled to access to the documents pursuant to the requests, the provisions of this Act under which these decisions were made and the number of times such provisions were invoked);

टिप्पणी :-

- 1) आवेदक के अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए लोक जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी /प्राधिकार /पदाधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों की संख्या जिसके लिए लोक जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी /प्राधिकार /पदाधिकारी के हकदार नहीं थे ।
- 2) अधिनियम के जिस उपबंधों (प्रावधानों) का सहारा लेकर लोक जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी /प्राधिकार / पदाधिकारी द्वारा निर्णय करते समय अवसरों की संख्या लिया गया था ।

(204) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(3)(ग) :- पुनर्विलोकन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष (The number of appeals referred to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, for review, the nature of the appeals and the outcome of the appeals);

टिप्पणी :-

- 1) पुनर्विलोकन के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के द्वारा आदेश/निर्देश जारी किया गया हो ।
- 2) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को की गई द्वितीय अपीलों/ शिकायतों की संख्या, अपीलों की प्रकृति
- 3) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा दिए गए आदेश/निर्देश और अपीलों के निष्कर्ष

(205) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(3)(घ) :- इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां (Particulars of any disciplinary action taken against any officer in respect of the administration of this Act);;

टिप्पणी :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियुक्त अधिकारी ( लोक जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी /प्राधिकार /पदाधिकारी ) के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशेष विवरण

(206) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(3)(ङ) :- इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम (The amount of charges collected by each public authority under this Act);

टिप्पणी :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों अर्थात् आरटीआई आवेदन के में संलग्न शुल्क और दस्तावेजों के लिए प्राप्त की गई रकम

(207) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(3)(च) :- कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं ( Any facts which indicate an effort by the public authorities to administer and implement the spirit and intention of this Act);

टिप्पणी :- लोक प्राधिकारियों के द्वारा कोई ऐसे तथ्य जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए प्रयास करते हैं ।

(208) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(3)(छ) :- सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं। (Recommendations for reform, including recommendations in respect of the particular public authorities, for the development, improvement, modernisation, reform or amendment to this Act or other legislation or common law or any other matter relevant for operationalising the right to access information.)

टिप्पणी :- केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग विशिष्ट लोक प्राधिकारियों को सुधार के लिए सिफारिशें करेगा जिससे सूचना तक पहुँचा जा सके ।

(209) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(4) :- यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष सौर जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी। (The Central Government or the State Government, as the case may be, may, as soon as practicable after the end of each year, cause a copy of the report of the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, referred to in section 25(1) to be laid before each House of Parliament or, as the case may be, before each House of the State Legislature, where there are two Houses, and where there is one House of the State Legislature before that House.)

टिप्पणी :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात् धारा 25(1) के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति क्रमशः संसद या राज्य विधान-मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(210) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(5) :- यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा। ( If it appears to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, that the practice of a public authority in relation to the exercise of its functions under this Act does not conform with the provisions or spirit of this Act, it may give to the authority a recommendation specifying the steps which ought in its opinion to be taken for promoting such conformity.)

**टिप्पणी :-** अगर लोक प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के के उपबंधों या भावना के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग लोक प्राधिकारी को जो केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की राय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के के उपबंधों या भावना के अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिए सिफारिश कर सकेगा ।

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26 (Section 26 of Right To Information Act 2005)**

समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना "(Appropriate Government to prepare programmes)"-

(211) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(1)** :- समुचित सरकार वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक ( The appropriate Government may, to the extent of availability of financial and other resources),-

**टिप्पणी :-** सरकार वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक निम्न कार्यक्रम बना सकती है ।

(212) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(1)(क)** :- जनता की, विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी। (Develop and organise educational programmes to advance the understanding of the public, in particular of disadvantaged communities as to how to exercise the rights contemplated under this Act);

**टिप्पणी :-** विशेष रूप से , उपेक्षित समुदायों की जनता को इस बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णित सभी नियमों के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए लोक प्राधिकारियों ( केंद्रीय लोक जन सूचना अधिकारी ; केंद्रीय लोक सहायक जन सूचना अधिकारी ; राज्य लोक जन सूचना अधिकारी; राज्य लोक सहायक जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी /प्राधिकार/ प्राधिकारी ) द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी।

(213) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(1)(ख)** :- लोक प्राधिकारियों को , खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी। (Encourage public authorities to participate in the development and organisation of programmes referred to in clause (a) and to undertake such programmes themselves);

**टिप्पणी :-** लोक प्राधिकारियों ( केंद्रीय लोक जन सूचना अधिकारी ; केंद्रीय लोक सहायक जन सूचना अधिकारी ; राज्य लोक जन सूचना अधिकारी ; राज्य लोक सहायक जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी /प्राधिकार/ प्राधिकारी ) को, खंड 26(1)(क) में निर्दिष्ट (जैसा सोचा गया था) कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए जनता को प्रोत्साहित कर सकेगी।

(214) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(1)(ग)** :- लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी ; (Promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities; and)

**टिप्पणी :-** लोक प्राधिकारियों ( केंद्रीय लोक जन सूचना अधिकारी ; केंद्रीय लोक सहायक जन सूचना अधिकारी; राज्य लोक जन सूचना अधिकारी; राज्य लोक सहायक जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी /प्राधिकार/ प्राधिकारी ) द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी ।

(215) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(1)(घ) :- लोक प्राधिकरणों के , यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी । (Train Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, of public authorities and produce relevant training materials for use by the public authorities themselves.)

**टिप्पणी :-** लोक प्राधिकरणों के , यथास्थिति (पूर्व की स्थिति को बनाए रखने की अवस्था) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों (केंद्रीय लोक जन सूचना अधिकारी; केंद्रीय लोक सहायक जन सूचना अधिकारी; राज्य लोक जन सूचना अधिकारी; राज्य लोक सहायक जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी /प्राधिकार/ प्राधिकारी) द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी ।

(216) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(2) :- समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर अपनी राजभाषा में , सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए , जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है। ( The appropriate Government shall, within eighteen months from the commencement of this Act, compile in its official language a guide containing such information, in an easily comprehensible form and manner, as may reasonably be required by a person who wishes to exercise any right specified in this Act. )

**टिप्पणी :-** सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास ( 12 अक्टूबर 2005 से 12 अप्रैल 2006) के भीतर अपनी राजभाषा में सहज (सरल) व्यापक (बड़े पैमाने पर) रूप और रीति (नियम) से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका (मार्गदर्शन करने वाली) संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त (विधि के अनुरूप) रूप में अपेक्षा की जाए , जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट (जैसा सोचा गया था) किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।

(217) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(3) :- समुचित सरकार यदि आवश्यक हो तो , धारा 26(2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी , जिनमें विशिष्टतया और धारा 26( 2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा (The appropriate Government shall, if necessary, update and publish the guidelines referred to in section 26(2) at regular intervals which shall, in particular and without prejudice to the generality of section 26(2), include)–

**टिप्पणी :-** सरकार, यदि आवश्यक हो तो, धारा 26(2) में निर्दिष्ट (निर्देश किया गया) मार्गदर्शी (मार्ग दिखाने का कार्य) सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन (नवीनतम विचारों और मान्यताओं के अनुकूल) और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और धारा 26(2) की व्यापकता (विस्तार) पर प्रतिकूल (विपरीत) प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित (क से झ तक) सम्मिलित होगा ।

(218) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(3)(क) :- इस अधिनियम के उद्देश्य (The objects of this Act);

टिप्पणी :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य (मतलब, लक्ष्य, अभिप्राय)

(219) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(3)(ख) :- धारा 5(1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डाक पता (The postal and street address, the phone and fax number and, if available, electronic mail address of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of every public authority appointed under section 5(1));

टिप्पणी :- धारा 5(1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण ( केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी; प्रथम अपीलीय अधिकारी / प्राधिकार / प्राधिकारी ) का नाम और पूर्ण हस्ताक्षर , डाक और गली का पता, फोन नंबर (कार्यालय का नंबर और सीयूजी मोबाइल नंबर) और फैक्स नंबर और इलेक्ट्रॉनिक (ईमेल आईडी) डाक पता

(220) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(3)(ग) :- वह रीति और प्ररूप , जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुँच का अनुरोध किया जाएगा; ( the manner and the form in which request for access to an information shall be made to a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be);

टिप्पणी :- वह रीति (नियम) और प्ररूप ( आवेदक द्वारा जिस रूप में माँगा गया) जिसमें , यथास्थिति (किसी बात या विषय की वह स्थिति जो किसी विशिष्ट समय में रही हो अथवा प्रस्तुत समय में हो।) , किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुँच का अनुरोध किया जाएगा;

(221) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(3)(घ) :- इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के , यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य ; (The assistance available from and the duties of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of a public authority under this Act);

टिप्पणी :- इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण (केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी) से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य

(222) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(3)(ङ) :- यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता ; (The assistance available from the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be);

टिप्पणी :- किसी बात या विषय की वह स्थिति जो किसी विशिष्ट ( दिए गए ) समय में रही हो अथवा प्रस्तुत समय में हो केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता ।

(223) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(3)(च) :- इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है ; (All remedies in law available regarding an act or failure to act in respect of a right or duty conferred or imposed by this Act including the manner of filing an appeal to the Commission);

टिप्पणी :- इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त (प्रदान करने वाला) या अधिरोपित (जिसपर आरोप लगाया गया हो) किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि (व्यवस्था आदि का ढंग, प्रणाली) में उपलब्ध सभी उपचार जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने का नियम है।

(224) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(3)(छ) :- धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए प्रावधान करने वाले उपबंध (The provisions providing for the voluntary disclosure of categories of records in accordance with section 4);

टिप्पणी :- धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के विभिन्न वर्गों के स्वैच्छिक प्रकट करने के लिए प्रावधान करने वाले उपबंध है।

(225) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(3)(ज) :- किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएँ (The notices regarding fees to be paid in relation to requests for access to an information); and और

टिप्पणी :- किसी सूचना तक पहुँच के लिए अनुरोधों (लोक जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के साथ 10 रु का फीस) के संबंध में प्रदान की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएँ ।

(226) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(3)(झ) :- इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र (Any additional regulations or circulars made or issued in relation to obtaining access to an information in accordance with this Act).

टिप्पणी :- इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त रोक या नियंत्रण के लिए नियम या परिपत्र ।

(227) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 26(4) :- समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए । (The appropriate Government must, if necessary, update and publish the guidelines at regular intervals)

टिप्पणी :- सरकार नियमित समय अंतरालों पर मार्ग दिखाने वाले के कार्य सिद्धांतों को ताज़ा और प्रकाशित करना चाहिए ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 (Section 27 of Right To Information Act 2005)

“नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति”

“( Power to make rules by appropriate Government )”-

(228) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27(1) :- समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। ( The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

**टिप्पणी :-** सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27(2) को ध्यान में रखते हुये ।

- (229) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27(2) :- विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे , अर्थात् : ( In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely) :-
- (230) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27(2)(क) :- धारा 4 (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य [The cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated under Section 4(4)]
- (231) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27(2)(ख) :- धारा 6(1) के अधीन संदेय फीस ; [The fee payable under Section 6(1)]
- (232) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27(2)(ग) :- धारा 7 (1) और 7 (5) के अधीन संदेय फीस ; [The fee payable under Section 7(1) and 7(5)]
- (233) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27(2)(घ) :- धारा 13(6) और धारा 16(6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ; [The salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees under Section 13(6) and Section 16(6)] ;
- (234) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27(2)(ङ) :- धारा 19(10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति. केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ; [The procedure to be adopted by the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, in deciding the appeals under section 19(10)] and
- (235) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27(2)(च) :- कोई अन्य विषय , जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए। (Any other matter which is required to be, or may be, prescribed.)

**टिप्पणी :-** आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 27(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध में परिवर्तन कर सकेंगे , अर्थात् :- धारा 4(4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य; धारा 6(1) तथा धारा 7(1) & 7(5) के अधीन देय फीस ; धारा 13(6) और धारा 16(6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ; धारा 19(10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय यथास्थिति. केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ; कोई अन्य विषय , जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 28 ( Section 28 of Right To Information Act 2005 )

नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति( Power to make rules by competent authority)-

- (236) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 28(1) :- सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा। (The competent authority may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act)

**टिप्पणी :-** सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 28 (2) को ध्यान में रखते हुये ॥

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- (237) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 28(2) :- विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् : (In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely)
- (238) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 28(2)(i) :- धारा 4(4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य ; (The cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated under Section 4(4) )
- (239) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 28(2)(ii) :- धारा 6 (1) के अधीन संदेय फीस ; (The fee payable under Section 6(1) )
- (240) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 28(2)(iii) :- धारा 7 (1) के अधीन संदेय फीस ( The fee payable under Section 7(1) ; और and
- (241) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 28(2)(iv) :- कोई अन्य विषय , जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए I( Any other matter which is required to be, or may be, prescribed.)

**टिप्पणी :-** पूर्वगामी शक्ति अर्थात् उपबंध या धारा की व्यापकता पर प्रतिकूल (विपरीत) प्रभाव डाले बिना अर्थात् किसी भी धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए सिर्फ इन धाराओं में परिवर्तन कर सकते हैं :- धारा 4(4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य; धारा 6(1) और धारा 7(1) के अधीन देय फीस; कोई अन्य विषय, जो धारा के बनाने योग्य हो ।

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 29 ( Section 29 of Right To Information Act 2005 )

### “नियमों का सदन में रखा जाना (Rules to be laid in the house)” -

**टिप्पणी :-** इस अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किसी धारा में कोई परिवर्तन करने पर केन्द्र सरकार संसद में और राज्य सरकार संबंधित विधान सभा के पटल पर रखकर पारित करवाएगा ।

- (242) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 29 (1) :- इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो , जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है , रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाए कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात् , यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा | तथापि, उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । (Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule)

**टिप्पणी :-** इस अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष ( कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो , जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक क्रमवार सत्रों में पूरी हो सकती है ) रखा जाएगा । अधिनियम पर बिना प्रभाव डाले दोनों सदनों द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है । जिससे कि अधिनियम पर कोई विधि मान्यता विपरीत प्रभाव नहीं पड़े ।

(243) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 29 (2) :-** इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा । ( Every rule made under this Act by a State Government shall be laid, as soon as may be after it is notified, before the State Legislature.)

**टिप्पणी :-** किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखेगा ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 30 ( Section 30 of Right To Information Act 2005 )

“कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ( Power to remove difficulties )”-

(244) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 30 (1) :-** यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों : परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा। ( If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty: Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Act.)

**टिप्पणी :-** इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावित करने में अगर कठिनाई होती है तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उपबंध बना सकती है लेकिन वह इस अधिनियम के असंगत नहीं हो जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक हो और ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(245) **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) :-** इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। ( Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.)

**टिप्पणी :-** इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के तुरंत बाद यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।